"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2013—वैशाख 27, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक ई-1-2-2013/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02-04-2013 द्वारा श्री मनोहर सिंह परस्ते, **भा.प्र.से.** (सीजी : 2000) को कलेक्टर, जिला कबीरधाम के पद पर आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें **पुनः** अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिमजाति, अनुसूचित जनजाति विकास एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी **वित्त** एवं विकास निगम तथा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (सीजी: 2005), संचालक, उद्योग एवं पदेन उप-सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला कबीरधाम के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

3. श्रीमती श्रुति सिंह, भा.प्र.से. (सीजी: 2006), संचालक, आदिमजाति, अनुसूचित जनजाति विकास एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम तथा संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, उद्योग एवं पदेन उपसचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्रमांक ई-01-02/2013/एक/2.—श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. (सी.जी.: 1985) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को केवल प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

2. श्री अमन कुमार सिंह, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा ऊर्जा विभाग, सचिव, मुख्यमंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के प्रभार से मुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

3. श्री बी. आनंद बाबू, भा.व.से. (1992), विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग को उनके वर्तमान दायित्व के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2013

क्रमांक ई-01-01/2013/एक/2.—श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1982), सचिव, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग तथा संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री के. डी. पी. राव, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1988), प्रमुख सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग तथा संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री आर. पी. जैन, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1990) आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर पदस्थ किया जाता है.

4. डॉ. बी. एस. अनंत, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1993) आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा सचिव, वन विभाग को केवल आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

5. श्री डी. डी. सिंह, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2000) संचालक, उद्यानिकी तथा संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर को केवल संचालक, उद्यानिकी के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

6. श्री एल. एस. केन, भा.प्र.से. (2000), संयुक्त सचिव, गृह विभाग, संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, संचालक, संपदा, रायपुर, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, पंजीयक, फर्म एवं संस्थायें को केवल संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

7. श्री मयंक वरवड़े, भा.प्र.से. (बिहार: 2001) (वर्तमान में अन्त:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास पदस्थ किया जाता है तथा आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

8. श्री ओमप्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2005) संचालक, जनसंपर्क एवं दंतेवाड़ा मॉडल पर लाइवलिहुड कॉलेज स्थापित करने की राज्य परियोजना के प्रभार के वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदेन उप सचिव, जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

9. श्री भुवनेश यादव, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2006), उप-सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप-सचिव, सहकारिता विभाग पदस्थ किया जाता है तथा संचालक, उद्यानिकी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

10. श्री जयप्रकाश मौर्य, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2010), अनुविभागीय अधिकारी, पण्डरिया जिला कबीरधाम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी, जशपुर पदस्थ किया जाता है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

11. श्री कार्तिकेय गोयल, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2010) अनुविभागीय अधिकारी, सक्ति, जिला जांजगीर-चांपा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी, नारायणपुर पदस्थ किया जाता है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

12. श्रीमती रानू साहू, भा.प्र.से. (सी.जी. : 2010), अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़, जिला रायगढ़ को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अनुविभागीय अधिकारी, बैकुंठपुर, जिला कोरिया पदस्थ किया जाता है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

13. श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा पदस्थ किया जाता है तथा अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

14. श्री धनंजय देवांगन, भा.प्र.से., उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर पदस्थ किया जाता है.

15. श्री देवेन्द्र सिंह, भा.व.से., (सी.जी. : 1988) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा एवं रेशम पदस्थ किया जाता है.

16. श्री सुनील मिश्रा, भा.व.से. (सी.जी. : 1994) वन संरक्षक, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम पदस्थ किया जाता है.

इस आदेश के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारियों के स्थानांतरण उपरांत होने वाली रिक्तियों पर पदस्थापना आगामी आदेश तक कलेक्टर जिले में उपलब्ध समुचित स्तर के राजस्व अधिकारियों से करेंगे. अनुविभागीय अधिकारी, बैकुंठपुर, जशपुर एवं नारायणपुर के पदों पर नवीन पदस्थापना उपरांत निवर्तमान अनुविभागीय अधिकारी, बैकुंठपुर, जशपुर एवं नारायणपुर जिला कलेक्ट्रेट में उपस्थिति देंगे व कलेक्टर नये सिरे से कार्य विभाजन आदेश जारी करेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 1 मई 2013

क्रमांक ई-01-01/2013/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-04-2013 की निरन्तरता में श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1983), कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा प्रमुख सचिव, ग्रामोद्योग विभाग एवं संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा एवं रेशम को श्री देवेन्द्र सिंह, भा.व.से. (सी.जी. : 1988) के संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा एवं रेशम के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से केवल संचालक, ग्रामोद्योग, हाथकरघा एवं रेशम के प्रभार से कार्यमुक्त माना जाता है.

2. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-04-2013 की निरन्तरता में श्री के. डी. पी. राव भा.प्र.से. (सी.जी. : 1998) द्वारा आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश पर्यन्त राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 2007 के नियम-9 के तहत आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के संवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

3. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-04-2013 की निरन्तरता में श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1990) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से डॉ. दुर्गेश चन्द्र मिश्रा, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1991) को, जो वर्तमान में चिकित्सा अवकाश पर हैं, के वेतन इत्यादि सुविधाओं के आहरण की दृष्टि से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय माना जाता है.

4. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-04-2013 की निरंतरता में श्री मयंक वरवड़े, भा.प्र.से. (बिहार : 2001) (वर्तमान में अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर) के संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर कार्यभार ग्रहण के दिनांक से सुश्री संगीता पी., भा.प्र.से. (सी.जी. : 2004) जो वर्तमान में असाधारण अवकाश पर हैं, को कार्यमुक्त माना जाता है तथा वेतन इत्यादि सुविधाओं के आहरण की दृष्टि से अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, मंत्रालय, छ.ग. शासन माना जाता है.

5. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-04-2013 की निरंतरता में श्री मयंक वरवड़े, भा.प्र.से. (बिहार : 2001) (वर्तमान में अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर) द्वारा आयुक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के पद पर कार्यभार ग्रहण के दिनांक से श्री देवाशीष दास, भा.व.से. (सी.जी. 1987) को आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभार से कार्यमुक्त माना जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 2 मई 2013

क्रमांक ई-01-01/2013/एक/2.—श्री शंकर राव ब्राम्हणे, भा.प्र.से. (2000), संचालक समाज कल्याण को उनके वर्तमान कर्त्तव्य के साथ-साथ संचालक, कोष एवं लेखा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री उमेश अग्रवाल, भा.प्र.से., उप सचिव ऊर्जा, उप सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी तथा संचालक, कोष एवं लेखा को केवल कोष एवं लेखा के प्रभार से मुक्त करते हुए संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री उमेश अग्रवाल, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री विकास शील, भा.प्र.से. (1994), सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण तथा आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण केवल आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2013

क्रमांक 188/2648/अव./2013/1-8/स्था.—श्री के. आर. मिश्रा, अपर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 29-11-2012 से 24-12-2012 तक 29 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 28-11-2012 एवं 25-12-2012 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा, आगामी आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग में अपर सचिव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक 250/[illegible]60/अव./20[illegible]-8/स्था.—श्री [illegible] कुमार दवे, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 30-03-2013 से 08-04-2013 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 29-03-2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दवे आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 9-02/2010/1-8.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी के गैर-संवर्गीय सचिवालयीन पद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम-4 (4) सहपठित नियम-3 के अंतर्गत संविदा नियुक्ति का पद घोषित करते हुये, उक्त पद पर उक्त नियम के नियम-5 (तीन) सहपठित नियम-8 (2) (ग) के अन्तर्गत श्री अमन कुमार सिंह, को उनके कार्य अनुभव तथा उपादेयता के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी दो वर्ष के लिये सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 16-01-2013 द्वारा संविदा नियुक्ति प्रदाय करते हुये, सचिव, ऊर्जा एवं सचिव, मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. श्री सिंह की सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नानुसार होगी :—

संविदा नियुक्ति की शर्तें :—

1. संविदा नियुक्ति वर्ममान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरु होकर दो वर्ष के लिए होगी.

2. विभाग आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकेगा.

3. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा.

4. नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

5. संविदा नियुक्ति के दौरान इनको वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं राज्य शासन के सचिव स्तर के समकक्ष (वर्तमान वेतनमान, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं आदि को प्रोटेक्ट करते हुए) निर्धारित करते हुए देय होगी. संविदा नियुक्ति की अवधि में नियमानुसार वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता होगी.

6. संविदा नियुक्ति की अवधि में सचिव स्तर के अधिकारियों को प्राप्त सभी सुविधाएं जैसे महंगाई भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा इत्यादि प्राप्त होगी.

7. **अवकाश की पात्रता :—** संविदा नियुक्ति की स्थिति में श्री सिंह को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिनों के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी.

8. श्री सिंह को संबंधित पद/समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देय होगी.

अन्य शर्तें :—

(1) संविदा नियुक्ति अवधि में श्री सिंह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे.

(2) श्री सिंह को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी.

(3) श्री सिंह की संविदा नियुक्ति अवधि का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी समय हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके.

(4) श्री सिंह सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहे हों तो श्री सिंह को शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45-क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जावेगी. उन्हें शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी.

2. इनकी संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें पर वित्त विभाग के यू.ओ. क्र. 193/सी.एन. 01-00010/13/बजट-5/वित्त/चार 2013, दिनांक 09-04-2013 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 10-10/2003/1-8 (पार्ट).—श्री विक्रम सिंह सिसोदिया, भारत शासन से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिये जाने और उनकी सेवाओं की राज्य शासन में आवश्यकता के दृष्टिगत एतद्द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-12-2012 द्वारा विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर रुपये 65000/- (रुपये पैंसठ हजार) एकमुश्त मासिक परिलब्धियों पर मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के कार्यकाल पर्यन्त अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की गई है. श्री सिसोदिया की सेवा निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

संविदा नियुक्ति की शर्तें :—

1. संविदा नियुक्ति वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरु होकर मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के कार्यकाल पर्यन्त अथवा आगामी आदेश जो भी पहले हो तक के लिए होगी.

2. श्री सिसोदिया को संविदा नियुक्ति के दौरान दिनांक 01-12-2012 से रुपये 65000/- (रुपये पैंसठ हजार) एकमुश्त मासिक परिलब्धियां प्राप्त होगी. श्री सिसोदिया को एकमुश्त मासिक वेतन के साथ-साथ राज्य शासन में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं एवं अन्य भत्ता जैसे-गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा पर दैनिक भत्ता आदि प्राप्त करने की पात्रता होगी. (एकमुश्त मासिक परिलब्धियों में से पेंशन घटाकर देय होगा)

3. श्री सिसोदिया को संविदा नियुक्ति की अवधि में अस्थाई शासकीय सेवक के समान अवकाश की पात्रता होगी.

4. संविदा नियुक्ति की स्थिति में यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जैसा कि संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को देय हैं.

अन्य शर्तें :—

5. संविदा नियुक्ति अवधि में श्री सिसोदिया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों से शासित होंगे.

6. श्री सिसोदिया को उनकी संविदा सेवा की समाप्ति के पश्चात् कुल संविदा नियुक्ति की अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्यु हित लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी.

7. श्री सिसोदिया की संविदा नियुक्ति की अवधि में वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा.

8. श्री सिसोदिया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहे हों, तो संविदा नियुक्ति अवधि में उन्हें उक्त शासकीय आवास को धारण करने की पात्रता बनी रहेगी तथा उनके वेतन से छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45-क के अनुसार शासकीय आवास के लाइसेंस शुल्क की वसूली की जावेगी.

9. श्री सिसोदिया को शासकीय सेवकों के समान ही चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी.

10. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2013

क्रमांक 251/213/अव./2013/1-8/स्था.—श्री सैय्यद कौसर अली, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 22-04-2013 से 17-05-2013 तक 26 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18 एवं 19-04-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अली, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 9-2/2013/1-8.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों के अंतर्गत मुख्यमंत्री सचिवालय में स्वीकृत संयुक्त सचिव के एक पद को संविदा का पद घोषित करते हुए उक्त पद पर श्री संजीव बक्शी, सेवानिवृत्त (रा.प्र.से.), को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्त करता है.

2. श्री बक्शी की संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें निम्नानुसार है :—

संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें :—

1. संविदा नियुक्ति वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरु होकर एक वर्ष के लिए या उक्त पद की पूर्ति होने तक के लिये होगी.

2. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा.

3. संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.

4. अपनी सेवा की अवधि के दौरान संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवक नियोजक से निम्नानुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे :—
   (1) संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी.

   (2) सेवानिवृत्त व्यक्ति की संविदा नियुक्ति की स्थिति में वेतन का निर्धारण (नियतन) उसके सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा संशोधित वेतनमान) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन (सरांशीकरण के पूर्व की) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि, संविदा वेतन होगा एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत का भी हकदार होगा.

5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी प्रत्येक कलैंडर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा.

6. संविदा नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे.

7. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी.

8. संविदा नियुक्ति अधिकारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा ताकि यदि आगामी समय हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सके.

9. संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति सेवानिवृत्ति के समय यदि शासकीय आवास में रह रहा हो तो उसे शासकीय आवास की पात्रता बनी रहेगी तथा उससे छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 45-क के अनुसार लाइसेंस शुल्क की वसूली की जावेगी. उसे शासकीस सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति की भी पात्रता होगी.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2013

क्रमांक 323/100/अव./2013/1-8/स्था.—श्री नटवरलाल वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) को दिनांक 21-01-2013 से 24-01-2013 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 19 एवं 20-01-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा, आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. वर्मा, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2013

क्रमांक ई 7-22/2004/2.—श्री आर. सी. सिन्हा, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 21-08-2012 से 11-09-2012 तक (22 दिवस) तथा दिनांक 06-10-2012 से 26-10-2012 तक (19 दिवस) लघुकृत अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिन्हा, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिन्हा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिन्हा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 1-20/2010/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 76ख (2) सहपठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण सेवा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा कर्मचारी) भर्ती नियम, 2013 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973);

(ख) "नियुक्ति अधिकारी" से अभिप्रेत है:—

(एक) ऐसा प्राधिकारी जो उस सेवा में नियुक्तियां करने के लिए सशक्त हो, जिसका (जिस सेवा का), प्राधिकरण का कर्मचारी, तत्समय सदस्य हो या प्राधिकरण का कर्मचारी, सेवा की उस श्रेणी में तत्समय सम्मिलित हो; या

(दो) ऐसा प्राधिकारी जो उस पद पर नियुक्तियां करने के लिए सशक्त हो, जिसे प्राधिकरण का कर्मचारी तत्समय धारण करता हो; या

(तीन) ऐसा प्राधिकारी जिसने यथास्थिति, ऐसी सेवा, श्रेणी या पद पर प्राधिकरण के कर्मचारी को नियुक्त किया हो; या

(चार) जहां प्राधिकरण के कर्मचारी ने किसी अन्य सेवा के स्थायी सदस्य होने पर या तत्पश्चात् कोई अन्य स्थायी पद धारण करने पर, प्राधिकरण के नियोजन में निरंतर रहा हो, ऐसा प्राधिकारी, जिसने उसे उस सेवा में या उस सेवा की किसी श्रेणी में या उस पद पर नियुक्त किया हो, इनमें से जो भी उच्चतर प्राधिकारी हो।

(ग) ''**प्राधिकरण**'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण;

(घ) ''**समिति**'' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, राज्य सरकार तथा/या प्राधिकारी द्वारा गठित समिति;

(ङ.) ''विकास प्राधिकरण'' का वही अर्थ होगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 76–क(1) में परिभाषित है;

(च) ''विकास प्राधिकारी सेवा'' से अभिप्रेत है, प्राधिकरण के कार्यकलापों से संबंधित सेवा या पदों का समूह, जैसा कि अधिनियम की धारा 76–ख में परिभाषित है;

(छ) ''प्राधिकरण के कर्मचारी'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो प्राधिकरण के कर्मचारी (स्टॉफ) में नियुक्त किया गया हो या जो उसके संवर्ग में हो;

(ज) ''**सरकार**'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(झ) ''**पद**'' से अभिप्रेत है, प्राधिकरण के अन्तर्गत पूर्णकालिक नियोजन, किन्तु उसमें ऐसा कोई भी नियोजन सम्मिलित नहीं है, जहां कर्मचारी को दैनिक वेतन दर से भुगतान किया जाता हो;

(ञ) ''**अनुसूची**'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची।

3. विस्तार तथा लागू होना.– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में **अन्तर्विष्ट प्रावधानों** की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम, छत्तीसगढ़ राज्य के **नगरीय विकास प्राधिकरण** की सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.– (1) विकास प्राधिकरण की सेवाओं में प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग के पद होंगे। प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग के पद राज्य संवर्ग (काडर) के पद होंगे। तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग के पद इन नियमों के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के अन्तर्गत स्थानीय संवर्ग (काडर) के पद होंगे और सेवाओं तथा पदों को अनुसूची एक में वर्गीकृत किया गया है।

(2) राज्य संवर्ग (प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग की सेवाओं) के पदों के अधिकारियों का, राज्य सरकार द्वारा एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण में स्थानांतरण किया जा सकेगा। स्थानीय संवर्ग (तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग की सेवाओं) के पदों के पदाधिकारियों का, एक प्राधिकरण से दूसरे प्राधिकरण में स्थानांतरण किया जा सकेगा। ऐसा स्थानांतरण, या तो दोनों प्राधिकरणों के बीच पारस्परिक स्थानांतरण करार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.– सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होगा:

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में, या तो स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर, समय समय पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. भर्ती का तरीका.– विकास प्राधिकरण सेवा में किसी पद या पदों के वर्ग में भर्ती निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या अधिक तरीकों से की जा सकेगी:–

(क) सीधी भर्ती या संविदा नियुक्ति द्वारा;

(ख) प्राधिकरण में नियोजित व्यक्ति की पदोन्नति द्वारा;

(ग) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी भी ऐसे व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा जो राज्य सरकार के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत हो।

7. सीधी भर्ती.– (1) किसी भी समय भर्ती किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग की सेवाओं की दशा में राज्य सरकार द्वारा तथा तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के पदों की दशा में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी:

परन्तु जब ऐसी रिक्तियां प्राधिकरण की सेवा के निम्नतर श्रेणी के पदों से संबंधित हों, जिसके लिए सीधी भर्ती/संविदा नियुक्ति द्वारा प्राधिकरण की सेवा में प्रवेश की व्यवस्था हो, तो किसी भी समय भरे जाने के लिए निर्धारित समस्त रिक्तियां, यथासंभव, सीधी भर्ती द्वारा तथा प्राधिकरण की सेवा में पहले से सेवारत कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा **अनुसूची**–दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत के अनुसार भरी जाएगी।

(2) (एक) जब कभी भी प्राधिकारी द्वारा तृतीय वर्ग या चतुर्थ वर्ग का कोई भी पद भरा जाना हो, तब अभ्यर्थियों के नाम स्थानीय रोजगार कार्यालय से मंगाए जाएंगे। रिक्तियों को एक हिन्दी तथा एक अंग्रेजी में राज्य–स्तर पर प्रसारित समाचार पत्र में भी अधिसूचित किया जायेगा।

(दो) प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग के पदों की दशा में रिक्तियों की संख्या, राज्य सरकार को सक्षम चयन/पदोन्नति समिति के माध्यम से चयन एवं नियुक्ति के लिये संसूचित की जायेगी।

(तीन) प्रत्येक संविदा नियुक्ति, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 द्वारा शासित होंगे।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में उपबंधों के अनुसार, पदों का आरक्षण सीधी भर्ती के अध्यधीन रहेगा।

(4) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले 30 प्रतिशत पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा जायेगा।

(5) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये, शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं अनुसूची–तीन के अनुसार होंगी।

(6) चयनित अभ्यर्थियों की सूची, ऐसे पदों के लिए योग्यता (मेरिट) क्रम में इस प्रकार तैयार की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यक समझे और यथासंभव रिक्तियां, ऐसे चयनित अभ्यर्थियों में से उसी क्रम में भरी जायेंगी, जिस क्रम में उनके नाम चयन सूची में आये हों।

(7) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध और इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश (यथासंशोधित) लागू होंगे।

8. चयन/पदोन्नति समिति.– (क) चयन/पदोन्नति समिति, प्राधिकरण की सेवाओं में नियुक्ति या पदोन्नति के लिये राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा समय समय पर गठित की जायेगी।

(ख) प्राधिकरण की सेवाओं में प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग के पदों में नियुक्ति/पदोन्नति, इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा गठित चयन/पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जायेगी।

(ग) तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग के पदों की दशा में, राज्य सरकार/प्राधिकरण समय समय पर समिति गठित करेगी।

9. नियुक्ति प्राधिकारी– (1) प्राधिकरण की सेवाओं की प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग के पदों की समस्त नियुक्तियां, राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(2) प्राधिकरण की सेवाओं की तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग के पदों की समस्त नियुक्तियां, चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

10. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.– सीधी भर्ती/चयन के लिये पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(एक) आयु (क) विज्ञापन के जारी होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा [illegible] चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए [illegible] आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार

कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण-- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:--

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें--

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 10 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्त एक या एक से अधिक संवर्ग के आधार पर छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(3) ऐसे अभ्यर्थी, जिसके प्रकरण में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक हो, को राज्य सरकार द्वारा उसके पक्ष में अन्ततः आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किये जाने के अध्यधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त किया गया जा सकेगा।

11. **निरर्हता.**– प्राधिकरण के पद में नियुक्ति के लिए निरर्हता, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार होगा।

12. **परिवीक्षा.**– (1) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी विशेष मामलों में परिवीक्षा की कालावधि को कुल मिलाकर 1 वर्ष से अनधिक कालवधि के लिये बढ़ा सकेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसे प्रशिक्षण में जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्तिः**– (1) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये एक समिति राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा समय समय पर गठित की जायेगी।

(2) प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग की सेवाओं में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, जैसा कि नियम 8 (ख) में निर्दिष्ट है, चयन/पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर तथा तृतीय वर्ग की सेवाओं में, जैसा कि नियम 8(ग) में निर्दिष्ट है, चयन/पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जाएगी।

(3) समिति की बैठक साधारणतया 1 वर्ष से अनधिक के अन्तराल में होगी।

(4) प्राधिकरण की प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग तथा तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग की सेवाओं के लिये पदोन्नति के मामले में, ऐसे व्यक्तियों के मामलों पर विचार किया जायेगा जिन्होंने उस वर्ष, जिसमें समिति की बैठक आहूत हो, के जनवरी के प्रथम दिन को उस पद में (चाहे स्थानापन्न रूप से या मूल रूप से) सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अनुसूची–तीन में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों।

(5) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध लागू होंगे।

14 **परिवीक्षा तथा स्थायीकरण:–** (1) पदोन्नति के मामले में, परिवीक्षा की कालावधि 1 वर्ष की होगी, यदि परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर किसी भी समय यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह अन्यथा संतोषप्रद रूप से कार्य करने में विफल रहा है, तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् उस पद पर जिससे उसे पदोन्नत किया गया था, प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा:

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, पर्याप्त कारण होने पर परिवीक्षा की कालावधि 6 माह से अनधिक कालावधि के लिये बढ़ा सकेगा।

(2) परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उस सेवा में या पद पर स्थायी किया जाएगा. जिस पर उसे पदोन्नत किया गया हो।

15. **पदक्रम सूची.–** प्राधिकरण की सेवाओं के लिये, पदकम सूची, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष जारी की जायेगी।

16. **वेतन वृद्धि.–** (1) सामान्यतः वेतन वृद्धि, जब तक कि वह रोकी न गयी हो, सामान्य क्रम में दी जायेगी।

(2) प्राधिकरण के किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोकी जा सकेगी, यदि उसका आचरण अच्छा न रहा हो या उसका कार्य संतोषजनक न रहा हो। तो उसकी वेतन वृद्धि रोकी जा सकेगी, उसके (वेतनवृद्धि के) रोकने संबंधी आदेश में, इस बात का उल्लेख होगा कि कितनी अवधि के

लिए वेतन वृद्धि रोकी गयी है और वेतन वृद्धि रोकने से पद के लिये भावी वेतन वृद्धि लंबित होने का क्या प्रभाव होगा।

17. **अवकाश.**– (1) अवकाश के संबंध में प्राधिकरण का कर्मचारी, राज्य सरकार के अधीन तत्स्थानी पद धारण करने वाले शासकीय सेवकों पर लागू नियमों द्वारा शासित होगा।

(2) आकस्मिक अवकाश सहित अन्य अवकाश प्रदान करने की शक्ति, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा समय समय पर प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुरूप होगी।

18. **अधिवार्षिकी आयु.**– प्राधिकरण के कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु, छत्तीसगढ़ शासन के अन्तर्गत, तत्स्थानी पद धारण करने वाले कर्मचारियों के लिये निर्धारित आयु के अनुरूप होगी।

19. **अंशदायी भविष्य निधि.**– सरकार द्वारा यथा विहित तथा समय समय पर यथा संशोधित अंशदायी भविष्य निधि नियम, 1955, प्राधिकरण के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

20. **मृत्यु लाभ.**– प्राधिकरण के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को, मृत्यु लाभ तथा अनुग्रह राशि का भुगतान, सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये गये, समय समय पर यथा संशोधित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

21. **यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता.**– यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के संबंध में प्राधिकरण के कर्मचारी की सेवा की शर्तें, समय समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ मूलभूत तथा अनुपूरक नियम के अनुसार शासित होंगे एवं समान प्रास्थिति वाले शासकीय सेवकों की सेवा शर्तों के समान होगी।

22. **प्रशिक्षण कालावधि के दौरान भत्ता.**– राज्य प्रशिक्षण संस्थान या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में प्रशिक्षण के लिये कर्मचारी को भेजा गया है, तो प्राधिकरण की निधि से निम्नानुसार वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा:–

(एक) प्रशिक्षण के लिये भेजा गया कर्मचारी ऐसी रीति में वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जिन्हें वह प्राप्त करने का हकदार होना चाहिये, जिन्हें उसे प्रशिक्षण पर न जाने की स्थिति में प्राप्त हुआ होता;

(दो) उसको लागू दरों के अनुसार संस्थान तक जाने और लौटने का यात्रा भत्ता;

(तीन) प्रशिक्षण की कालावधि, कर्तव्य की कालावधि के रूप में मानी जायेगी।

23. **गृह भाड़ा भत्ता.**— गृह भाड़ा भत्ता, जो किसी शासकीय सेवक को अनुज्ञेय हो, वही प्राधिकरण के कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी। भत्ते की दर भी समान होगी।

24. **वाहन भत्ता.**— वाहन भत्ते, जो किसी शासकीय सेवक को अनुज्ञेय हो, वही प्राधिकरण के कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी। भत्ते की दर भी समान होगी:

परन्तु वाहन भत्ता केवल ऐसे अधिकारी को अनुज्ञेय होगी, जिसके मामले में, वाहन का रखा जाना प्राधिकरण के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये अत्यावश्यक समझा गया हो:

परन्तु यह और कि प्राधिकरण के ऐसे कर्मचारी, जिसे वाहन भत्ता प्राप्त होता हो, के द्वारा प्राधिकारी को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिये कि उसने, उस कालावधि के दौरान जिसके लिये भत्ते का दावा किया गया हो, वाहन को चालू हालत में रखा है। प्राधिकरण के कर्मचारियों के द्वारा, अपना प्रमाणपत्र, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिये, जिसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा उस पर आवश्यक जांच पड़ताल करने के पश्चात् बिल पर एक प्रमाणपत्र अभिलिखित किया जाना चाहिये।

25. **सरकार के निर्देश.**— इन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, प्राधिकरण की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के लिए वेतन, भत्ते, वेतन वृद्धियां, उपादान, अवकाश, कार्यग्रहण काल, सेवानिवृत्ति, अनु,ाासन, नियंत्रण, दण्ड, आचरण, ऋण एवं अग्रिम, चिकित्सा परिचया नियम, अनुकम्पा नियुक्ति हेतु नियम, जी.आई.एस (समूह बीमा योजना), सेवा–पुस्तिका तथा सेवा की अन्य शर्तें, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार विनियमित होंगी।

26. **ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही जो प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हो.**— (1) जहां प्राधिकरण के किसी ऐसे कर्मचारी, जिसकी सेवा शासन से ली गयी हो, के विरूद्ध कोई आदेश दिया जाता है या आनुशासनिक कार्यवाही की जाती है, वहां अनुशासनिक प्राधिकारी, उसको निलंबित किए जाने के आदेश देने संबंधी या उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने संबंधी परिस्थितियों की सूचना शासन को तत्काल देगा।

(2) प्राधिकरण के ऐसे कर्मचारी के विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाहियों के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति ऐसे कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिये या ऐसे कर्मचारी की सेवा शासन को पुनः सौंप दी जानी चाहिये, तो जांच का अभिलेख, शासन को ऐसी कार्यवाही करने के लिये संप्रेषित कर दिया जायेगा. जैसा कि वह आवश्यक समझे।

27. अपील का अधिकार.– **(1)** प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी को, अपील करने का अधिकार नहीं होगा, यदि–

(क) वह अस्थायी पद धारण कर रहा हो; या

(ख) वह परिवीक्षाधीन हो और उसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 द्वारा अपेक्षा अनुसार, उसके कर्तव्य निर्वहन के विरूद्ध, कारण बताने का अवसर दिया गया हो और उसके उत्तर पर विचार किया गया हो।

(ग) उसके विरूद्ध पारित किया गया आदेश–

(एक) परिनिन्दा का आदेश हो;

(दो) कोई ऐसा निलम्बन आदेश हो, जो इस कम में पारित किया गया हो कि कोई जांच की जा सके;

(तीन) यदि वह किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा हो, तो उसे उसके स्थायी पद पर वापस किए जाने का आदेश हो;

(चार) उसकी संविदा के शर्तों के अनुसार नियोजन समाप्त करने का आदेश हो।

(2) अपील– उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, प्राधिकरण के प्रत्येक कर्मचारी को, तृतीय वर्ग तथा चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के मामले में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अध्यक्ष को तथा प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के अधिकारियों के मामले में, राज्य सरकार के प्रशासकीय विभाग को अपील करने का

अधिकार होगा । अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा और उसका पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

(3) अपीलों या पुनरीक्षण का परिसीमाकाल—उस तारीख से जिस पर अपीलार्थी को आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जाए, की एक प्रति दी गयी हो, 45 दिन के अवसान होने के बाद, अपीलीय प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जायेगी:

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी उक्त कालावधि के समाप्त हो जाने के बाद भी, कोई अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी के पास समय पर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण हो।

(4) भारतीय परिसीमा अधिनियम के उपबन्ध को मार्गदर्शक के रूप में माना जाना.— इन नियमों के अधीन परिसीमाकाल की संगणना करने के संबंध में, परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 36) के उपबन्ध को यथासंभव मार्गदर्शक के रूप में माना जा सकेगा।

28. **प्राधिकरण के कार्यभारित एवं आकस्मिक स्थापना के कर्मचारियों को लागू नियम.**—कार्यभारित/आकस्मिकता कर्मचारियों के लिये, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्रमांक 343/444/1(3) वे.आ.को./75 दिनांक 29-09-75 के द्वारा प्रकाशित आदर्श सेवा शर्तें, प्राधिकरण के कार्यभारित/आकस्मिक स्थापना की सेवा में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के लिये लागू होंगे।

29. **प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति संबंधी सेवा की शर्तें.**— प्राधिकरण के कर्मचारी को, प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए, ऐसे निबंधन एवं सेवा की शर्तें, जो प्राधिकरण की सेवा में उसकी प्रतिनियुक्ति के तत्काल पूर्व उस पर लागू थी, ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि शासन द्वारा अवधारित किया जाये, प्रतिधारित करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी।

30. **निर्वचन.**—इन नियमों के निर्वचन से संबंधित समस्त प्रश्न, शासन को निर्दिष्ट किए जायेंगे, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

31. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, आदेश एवं उप-विधि, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

अनुसूची–एक

स. क.	पद का नाम	वर्गीकरण	वेतनमान	पदों की संख्या	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रथम	भा.प्र.सेवा संवर्ग वेतनमान	1	
2	अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रथम	15600–39100+6600	1	
3	मुख्य अभियंता	प्रथम	37400–67000+8900	1	
4	अधीक्षण अभियंता	प्रथम	15600–39100+7600	2	
5	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	प्रथम	15600–39100+6600	3	
6	कार्यपालन अभियंता (विद्युत)	प्रथम	15600–39100+6600	1	
7	नगर निवेशक ग्रेड–एक	प्रथम	15600–39100+6600	1	
8	संपदा अधिकारी ग्रेड–एक	प्रथम	15600–39100+6600	1	
9	मुख्य लेखा अधिकारी (राज्य वित्त सेवा)	प्रथम	15600–39100+6600	1	
10	भवन अनुज्ञा अधिकारी	द्वितीय	15600–39100+5400	1	सांख्येतर
11	सहायक अभियंता (सिविल)	द्वितीय	15600–39100+5400	10	
12	सहायक अभियंता (विद्युत)	द्वितीय	15600–39100+5400	1	
13	सहायक अभियंता (यांत्रिकी)	द्वितीय	15600–39100+5400	1	
14	लेखा अधिकारी	द्वितीय	15600–39100+5400	1	
15	प्रशासकीय अधिकारी	द्वितीय	15600–39100+5400	1	
16	राजस्व अधिकारी (तहसीलदार)	तृतीय	9300–34800+4300	1	
17	सहायक राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार)	तृतीय	9300–34800+4200	1	
18	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	तृतीय	9300–34800+4300	1	
19	निज सचिव	तृतीय	9300–34800+4400	1	
20	निज सहायक	तृतीय	9300–34800+4300	1	
21	अधीक्षक	तृतीय	9300–34800+4300	1	
22	उप अभियंता	तृतीय	9300–34800+4200	24	
23	मानचित्रकार	तृतीय	9300–34800+4200	1	
24	मुख्य लेखापाल	तृतीय	5200–20200+2800	1	
25	सहायक उद्यान अधीक्षक	तृतीय	5200–20200+2800	1	
26	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	तृतीय	5200–20200+2800	2	

27	सहायक ग्रेड–एक	तृतीय	5200–20200+2800	6	
28	कार्य सहायक ग्रेड–एक	तृतीय	5200–20200+2400	4	
29	कार्य लेखापाल	तृतीय	5200–20200+2400	1	
30	सहायक ग्रेड–दो	तृतीय	5200–20200+2400	8	
31	सहायक मानचित्रकार	तृतीय	5200–20200+2400	1	
32	राजस्व निरीक्षक	तृतीय	5200–20200+2400	1	
33	स्टोरकीपर	तृतीय	5200–20200+2400	1	
34	कैशियर	तृतीय	5200–20200+2400	1	
35	पटवारी	तृतीय	5200–20200+2200	2	
36	कार्य सहा. ग्रेड–2	तृतीय	5200–20200+1900	27	सांख्येत्तर 7
37	स्टेनो टायपिस्ट	तृतीय	5200–20200+1900	3	
38	कम्प्यूटर आपरेटर	तृतीय	5200–20200+1900	3	
39	सहायक ग्रेड–3	तृतीय	5200–20200+1900	34	सांख्येत्तर 12
40	अनुरेखक	तृतीय	5200–20200+1900	3	
41	वाहन चालक	तृतीय	5200–20200+1900	10	
42	रोड रोलर चालक	तृतीय	5200–20200+1900	2	
43	ट्रेक्टर चालक	तृतीय	5200–20200+1900	2	
44	पंप चालक	तृतीय	5200–20200+1900	7	[illegible]्येत्तर 1
45	प्लम्बर	तृतीय	5200–20200+1900	3	
46	लाईनमेन	तृतीय	5200–20200+1900	[illegible]	सांख्येत्तर 1
47	मोहर्रिर ग्रेड–दो	तृतीय	5200–20200+1900	[illegible]	
48	ट्रेक्टर हेल्पर	तृतीय	5200–20200+1900	1	सांख्येत्तर
49	फेरो प्रिन्टर	तृतीय	5200–20200+1900	1	सांख्येत्तर
50	दफ्तरी	चतुर्थ	4750–7440+1400	1	
51	जमादार	चतुर्थ	4750–7440+1400	1	
52	भृत्य–सह–चौकीदार	चतुर्थ	4750–7440+1300	30	सांख्येतर 12
53	सुरक्षा गार्ड	चतुर्थ	4750–7440+1300	1	
54	जल वाहिका	चतुर्थ	4750–7440+13[illegible]	4	
55	माली	चतुर्थ	4750–7440+[illegible]	1	

कार्यभारित

1	पंप चालक	चतुर्थ	4750–7440+1300	14	सांख्येतर 13
2	मेसन	चतुर्थ	4750–7440+1400	2	सांख्येतर 1
3	मेट	चतुर्थ	4750–74[illegible]1400	2	सांख्येतर 1
4	चौकीदार	चतुर्थ	4750–7440+1300	27	सांख्येतर 21
5	स्वीपर	चतुर्थ	4750–74[illegible]0+1300	12	सांख्येतर 8
6	श्रमिक	चतुर्थ	47[illegible]0+1300	85	सांख्येतर
7	भृत्य	चतुर्थ	4[illegible]0–7440+1300	1	
8	जल वाहिका	चतुर्थ	[illegible]0–7440+1300	1	सांख्येतर
9	टाईम कीपर	तृतीय	5200–20200+1900	6	सांख्येतर

10	प्लंबर	तृतीय	5200–20200+1900	6	सांख्येतर
11	ट्रेक्टर चालक	तृतीय	5200–20200+1900	2	सांख्येतर
12	ट्रेक्टर हेल्पर	तृतीय	5200–20200+1900	2	सांख्येतर
13	विद्युत सहायक	तृतीय	5200–20200+1900	3	सांख्येतर
14	प्लम्बर असिस्टेंट	तृतीय	5200–20200+1900	4	सांख्येतर
15	डाक रनर	चतुर्थ	4750–7440+1300	1	सांख्येतर

आकस्मिक

1	महिला प्रबंधिका	तृतीय	5200–20200+1900	1	
2	सहायक ग्रेड–तीन	तृतीय	5200–20200+1800	8	सांख्येतर 7
3	अनुरेखक	तृतीय	4750–7440+1400	2	सांख्येतर 1
4	जल वाहिका	चतुर्थ	4750–7440+1300	4	सांख्येतर
5	सुरक्षा गार्ड	चतुर्थ	4750–7440+1300	1	
6	मोहर्रिर	चतुर्थ	5200–20200+1800	2	सांख्येतर

अनुसूची—दो
(नियम 5 देखिए)

स. क्र.	पद का नाम	सीधी भर्ती/संविदा नियुक्ति द्वारा	सेवा के स्थानापन्न सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**	-	-	100%	राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से
2	**अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी**	-	-	100%	राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति न होने पर सेवानिवृत्त एडिशनल कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर की संविदा नियुक्ति।
3	**मुख्य अभियंता**	-	100%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद प्रतिनियुक्ति अथवा सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता की संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
4	अधीक्षण अभियंता	-	100%		यदि पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद प्रतिनियुक्ति अथवा सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता की संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
5	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	-	100%		यदि पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद प्रतिनियुक्ति अथवा सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता की संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
6	**कार्यपालन अभियंता (विद्युत)**	-	100%		यदि पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद प्रतिनियुक्ति अथवा सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता की संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
7	**नगर निवेशक**	100%			राज्य शासन द्वारा
8	**संपदा अधिकारी**	-	-	100%	प्रतिनियुक्ति न होने पर संविदा नियुक्ति द्वारा।
9	**मुख्य लेखा अधिकारी (राज्य वित्त सेवा)**	-	-	100%	राज्य वित्त सेवा के सदस्यों से राज्य शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति न होने पर राज्य वित्त सेवा के सेदानिवृत्त सदस्यों की संविदा नियुक्ति द्वारा।
10	भवन अनुज्ञा अधिकारी	-	-	100%	प्रतिनियुवित न होने पर संविदा नियुक्ति द्वारा।

11	सहायक अभियंता (सिविल)	50%	50%	-	पदोन्नति से भरे जाने वाले 50% पदों को निम्नानुसार भरी जायेगी:– (क) 75% डिप्लोमाधारी उप अभियंता की पदोन्नति द्वारा । (ख) 20% ऐसे डिग्रीधारी उप अभियंताओं जिन्होंने सेवा में रहते हुए या सेवा में आने के पूर्व डिग्री प्राप्त की हो, की पदोन्नति द्वारा (ग) 5% मानचित्रकार संवर्ग की पदोन्नति द्वारा।
12	सहायक अभियंता (विद्युत)	50%	50%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो संविदा नियुक्ति ।
13	सहायक अभियंता (यांत्रिकी)	50%	50%	-	......तदैव......
14	लेखा अधिकारी	100%		-	
15	प्रशासनिक अधिकारी	-	100%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
16	राजस्व अधिकारी (तहसीलदार)	-	-	100%	प्रतिनियुक्ति द्वारा न भरे जाने पर सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार की संविदा नियुक्ति।
17	सहायक राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार)	-	-	100%	प्रतिनियुक्ति द्वारा न भरे जाने पर सेवानिवृत्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार की संविदा नियुक्ति।
18	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा/संविदा नियुक्ति न हो पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
19	निज सचिव	-	100%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
20	निज सहायक	-	100%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
21	अधीक्षक	-	100%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
22	उप–अभियंता (सिविल)	75%	25%	-	
23	मानचित्रकार	-	100%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद प्रतिनियुक्ति या संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
24	मुख्य लेखापाल	-	100%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
25	सहायक उद्यान अधीक्षक	100%		-	

26	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	50%	50%	-	50% स्टेनो टायपिस्ट की पदोन्नति द्वारा
27	सहायक ग्रेड–एक	-	100%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
28	कार्य सहायक ग्रेड–एक	-	100%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
29	कार्य लेखापाल	-	100%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
30	सहायक ग्रेड–दो	-	100%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
31	सहायक मानचित्रकार	50%	50%	-	50% अनुरेखकों की पदोन्नति द्वारा तथा यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
32	राजस्व निरीक्षक	-	100%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
33	स्टोरकीपर	-	100%	-	यदि पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो पद संविदा नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी।
34	कैशियर	-	100%	-	
35	पटवारी	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा/संविदा नियुक्ति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
36	कार्य सहायक ग्रेड–दो	100%	-	-	
37	स्टेनो टायपिस्ट	100%	-	-	
38	कम्प्यूटर ऑपरेटर	100%	-	-	
39	सहायक ग्रेड–तीन	75%	25%	-	25% , चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो सहायक ग्रेड–तीन के पद हेतु अर्हता रखते हो तथा जिन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो की पदोन्नति द्वारा
40	अनुरेखक	100%	-	-	
41	वाहन चालक	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा/संविदा नियुक्ति न होने पर आउट सोर्सिंग द्वारा।
42	रोड रोलर चालक	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा/संविदा नियुक्ति न होने पर आउट सोर्सिंग द्वारा।
43	ट्रैक्टर चालक	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा/संविदा नियुक्ति न होने पर आउट सोर्सिंग द्वारा।
44	पंप चालक	100%	-	-	
45	प्लम्बर	100%	-	-	
46	लाईनमेन	100%	-	-	
47	मोहर्रिर ग्रेड–दो	100%	-	-	

48	ट्रैक्टर हेल्पर	100%	-	-	
49	फेरो प्रिन्टर	-	100%	-	
50	महिला प्रबंधिका	100%	-	-	
51	दफ्तरी	-	100%	-	
52	जमादार	-	100%	-	
53	भृत्य–सह–चौकीदार	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा/संविदा नियुक्ति न होने पर आउट सोर्सिंग द्वारा।
54	सुरक्षा गार्ड	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा/संविदा नियुक्ति न होने पर आउट सोर्सिंग द्वारा।
55	जल वाहिका	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा/संविदा नियुक्ति न होने पर आउट सोर्सिंग द्वारा।
56	मेशन	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा/संविदा नियुक्ति न होने पर आउट सोर्सिंग द्वारा।
57	मेट	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा/संविदा नियुक्ति न होने पर आउट सोर्सिंग द्वारा।
58	श्रमिक	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा/संविदा नियुक्ति न होने पर आउट सोर्सिंग द्वारा।
59	स्वीपर	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा/संविदा नियुक्ति न होने पर आउट सोर्सिंग द्वारा।
60	माली	100%	-	-	सीधी भर्ती द्वारा/संविदा नियुक्ति न होने पर आउट सोर्सिंग द्वारा।

अनुसूची—तीन

स. क.	पद का नाम	न्युनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्ती/संविदा नियुक्ति के लिये (प्रस्तावित) शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर निवेशक	21 वर्ष	30 वर्ष / छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हेतु 35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में वास्तुकला में स्नातक।	संविदा सेवा हेतु अधिकतम आयु सीमा 64 वर्ष ।
2	सहायक अभियंता (सिविल)	—तदेव—	—तदेव—	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष।	—तदैव—
3	सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	—तदेव—	—तदैव—	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या समकक्ष।	—तदैव—
4	लेखा अधिकारी	18 वर्ष	—तदैव—	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में वाणिज्य में स्नातक। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर टेली (Tally) प्रमाण पत्र।	—तदैव—
5	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	21 वर्ष	—तदैव—	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक साथ ही पत्रकारिता या जनसंपर्क या संचार में उपाधि या पत्रोपाधि।	—तदैव—
6	उप–अभियंता (सिविल)	—तदैव—	—तदैव—	मान्यता प्राप्त मण्डल से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	—तदैव—
7	उप–अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	—तदैव—	—तदैव—	मान्यता प्राप्त मण्डल से इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	—तदैव—
8	सहायक उद्यान अधीक्षक	18 वर्ष	—तदैव—	बी.एस.सी. (बायोलॉजी) परीक्षा उत्तीर्ण।	—तदैव—
9	शीघ्रलेखक वर्ग—तीन	—तदैव—	—तदैव—	1. मान्यता प्राप्त मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण । 2. किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परिषद् से:— (क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) — हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए	—तदैव—

				कौशल परीक्षा ली जायेगी) (ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) – अंग्रेजी शीघ्रलेखन प्रमाण–पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की गति 10,000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा होना आवश्यक है। (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)	
10	सहायक मानचित्रकार	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल मानचित्रकारी या वास्तुकला (आर्किटेक्चर) में डिप्लोमा।	–तदैव–
11	पटवारी	–तदैव–	–तदैव–	1. मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। 2. पटवारी परीक्षा उत्तीर्ण।	–तदैव–
12	कार्य सहायक ग्रेड–दो	–तदैव–	–तदैव–	1. मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। 2. आई.टी.आई. से राज मिस्त्री/बढ़ईगिरी में ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण।	–तदैव–
13	स्टेनो टायपिस्ट	–तदैव–	–तदैव–	1. मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2. हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 60 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ उत्तीर्ण (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी) 3. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए । (गति के लिएं कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	–तदैव–
14	कम्प्यू. आपरेटर	–तदैव–	–तदैव–	1. मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा साथ ही	–तदैव–

				किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण अथवा 10वीं उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्षीय डिप्लोमा । 2. डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग तथा 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
15	सहायक ग्रेड–तीन	–तदैव–	–तदैव–	1. मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण अथवा 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा । 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	–तदैव–
16	अनुरेखक	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) तथा मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट ड्राईंग परीक्षा उत्तीर्ण।	–तदैव–
17	वाहन चालक	–तदैव–	–तदैव–	8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं वैध वाहन चालक अनुज्ञप्ति धारण करता हो।	–तदैव–
18	रोड रोलर चालक	–तदैव–	–तदैव–	8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं भारी वाहन के लिए वैध वाहन चालक अनुज्ञप्ति धारण करता हो।	–तदैव–
19	ट्रेक्टर चालक	–तदैव–	–तदैव–	8वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं वैध वाहन चालक अनुज्ञप्ति धारण करता हो।	–तदैव–
20	पंप चालक	–तदैव–	–तदैव–	8वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा आई टी आई से एक वर्षीय प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।	–तदैव–
21	प्लम्बर	–तदैव–	–तदैव–	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से फिटर ट्रेड।	–तदैव–
22	लाईनमेन	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण तथा आई.टी.आई. से वायरमेन ट्रेड।	–तदैव–
23	मोहर्रिर ग्रेड–दो	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण।	–तदैव–

24	ट्रेक्टर सहायक	–तदैव–	–तदैव–	8वीं कक्षा उत्तीर्ण	–तदैव–
25	महिला प्रबंधिका	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण ।	–तदैव–
26	भृत्य–सह–चौकीदार	–तदैव–	–तदैव–	5वीं परीक्षा उत्तीर्ण	–तदैव–
27	सुरक्षा गार्ड	–तदैव–	–तदैव–	5वीं परीक्षा उत्तीर्ण	–तदैव–
28	जल वाहक/वाहिका	–तदैव–	–तदैव–	5वीं परीक्षा उत्तीर्ण	–तदैव–
29	मेशन	–तदैव–	–तदैव–	5वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मेसन ट्रेड में 2 वर्ष का अनुभव रखता हो	–तदैव–
30	मेट	–तदैव–	–तदैव–	5वीं परीक्षा उत्तीर्ण	–तदैव–
31	श्रमिक	–तदैव–	–तदैव–	श्रमिक कार्य हेतु शारीरिक रूप से सक्षम	–तदैव–
32	स्वीपर	–तदैव–	–तदैव–	5वीं परीक्षा उत्तीर्ण	–तदैव–
33	माली	–तदैव–	–तदैव–	5वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं माली का 2 वर्ष का अनुभव रखता हो	–तदैव–

अनुसूची–चार

स.क.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित अनुभव	अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	मुख्य अभियंता (सिविल)	अधीक्षण अभियंता (सिविल) के रुप में 5 वर्ष की निरंतर सेवा		
2	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	कार्यपालन अभियंता (सिविल) के रुप में 5 वर्ष की निरंतर सेवा	मान्यता प्राप्त वि ववि‌द्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि।	
3	सहायक अभियंता (सिविल)	कार्यपालन अभियंता(सिविल)	सहायक अभियंता सिविल के रुप में 5 वर्ष की निरंतर सेवा	मान्यता प्राप्त वि ववि‌द्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि।	
4	सहायक अभियंता (विद्युत)	कार्यपालन अभियंता(विद्युत)	सहायक अभियंता विद्युत के रुप में 5 वर्ष की निरंतर सेवा	मान्यता प्राप्त वि ववि‌द्यालय से विद्युत इंजीनियरिंग में उपाधि।	
5	उप अभियंता (सिविल)	सहायक अभियंता (सिविल)	ऐसे उप अभियंता जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारण करते हो के लिए निरंतर 10 वर्ष की सेवा अथवा ऐसे व्यक्ति जो सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री धारण करते हो के लिए निरंतर 8 वर्ष की सेवा या वे व्यक्ति जो आई. टी.आई. से मानचित्रकार /सिविल में ट्रेड	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ।	

			प्रमाण पत्र /मानचित्रकार /सर्वेयर प्रमाण पत्र धारण करते हो के लिए मानचित्रकार के रुप में निरंतर 12 वर्ष का सेवा।		
6	उप अभियंता (विद्युत)	सहायक अभियंता (विद्युत)	ऐसे उप अभियंता जो (विद्युत) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारण करते हो के लिए निरंतर 10 वर्ष की सेवा अथवा ऐसे व्यक्ति जो (विद्युत) इंजीनियरिंग में डिग्री धारण करते हो के लिए निरंतर 8 वर्ष की सेवा ।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (विद्युत) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।	
7	उप अभियंता (यांत्रिकी)	सहायक अभियंता (यांत्रिकी)	ऐसे उप अभियंता जो (यांत्रिकी) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारण करते हो के लिए निरंतर 10 वर्ष की सेवा या ऐसे व्यक्ति जो (यांत्रिकी) इंजीनियरिंग में डिग्री धारण करते हो के लिए निरंतर 8 वर्ष की सेवा।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (यांत्रिकी) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ।	
8	निज सचिव/ अधीक्षक	प्रशासकीय अधिकारी	निज सचिव/ अधीक्षक के पद निरंतर 5 वर्ष की सेवा।		**संयुक्त पदकम सूची के अनुसार**
9	निज सहायक	निज सचिव	निज सहायक के पद पर निरंतर 5 वर्ष की सेवा		
10	शीध्रलेखक वर्ग–3	निज सहायक	शीध्रलेखक के पद पर निरंतर 5 वर्ष की सेवा।		
11	सहायक ग्रेड–1	अधीक्षक	सहायक ग्रेड–1 के पद पर निरंतर 5		

			वर्ष की सेवा।		
12	कार्य सहायक ग्रेड–1	उप अभियंता (सिविल)	कार्य सहायक ग्रेड–1 के पद पर निरंतर 8 वर्ष की सेवा।		
13	सहायक मानचित्रकार	मानचित्रकार	सहायक मानचित्रकार के पद पर निरंतर 5 वर्ष की सेवा।		
14	कार्य लेखापाल	मुख्य लेखापाल	कार्य लेखापाल के पद पर निरंतर 5 वर्ष की सेवा।		
15	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक	स्टेनो टायपिस्ट के पद पर निरंतर 5 वर्ष की सेवा।		
16	सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–1	सहायक ग्रेड–2 के पद पर निरंतर 5 वर्ष की सेवा।		
17	कार्य सहायक ग्रेड–2	कार्य सहायक ग्रेड–1	कार्य सहायक ग्रेड–2 के पद पर निरंतर 5 वर्ष की सेवा।		
18	सहायक ग्रेड–3	कार्य लेखापाल	सहायक ग्रेड–3 के पद पर निरंतर 5 वर्ष की सेवा।	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि।	
19	सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–2	सहायक ग्रेड–3 के पद पर निरंतर 5 वर्ष की सेवा।		
20	अनुरेखक	सहायक मानचित्रकार	ट्रेसर के पद पर निरंतर 5 वर्ष की सेवा।		
21	मोहर्रिर	राजस्व निरीक्षक	मोहर्रिर के पद पर निरंतर 8 वर्ष की सेवा।		
22	सहायक ग्रेड–3	स्टोर कीपर	सहायक ग्रेड–3 के पद पर निरंतर 5 वर्ष की सेवा।		
23	सहायक ग्रेड–3	कैशियर	सहायक ग्रेड–3 के पद पर निरंतर 5 वर्ष की सेवा।		
24	भृत्य–सह–चौकीदार /टेलीफोन अटेंडेंट	सहायक ग्रेड–3	सरल कमांक 24 में कॉलम (2) में उल्लिखित पद पर		

			निरंतर 5 वर्ष की सेवा तथा सहायक ग्रेड–3 के लिए अर्हता रखता हो ।		
25	जमादार / दफ्तरी	नीलमुद्रक	जमादार / दफतरी के पद पर निरंतर 5 वर्ष की सेवा।		संयुक्त पदक्रम सूची के अनुसार
26	भृत्य–सह–चौकीदार	दफ्तरी	भृत्य सह चौकीदार के पद पर निरंतर 8 वर्ष की सेवा।		
27	भृत्य–सह–चौकीदार	जमादार	भृत्य सह चौकीदार के पद पर निरंतर 8 वर्ष की सेवा।		

टीपः– प्राधिकरण के सेवाओं में पदोन्नति हेतु, राज्य सरकार / प्राधिकरण द्वारा, समय समय पर, एक पदोन्नति समिति गठित की जायेगी।

नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2013

क्रमांक एफ 1-20/2010/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-04-2013 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

Naya Raipur, the 17th April 2013

No. F 1-20/2010/32.—In exercise of the powers conferred by Section 76 B (2) read with Section 85 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), the State Government, hereby, makes the following rules relating to the recruitment of Officers and Employees of the Chhattisgarh Development Authority Services, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Chhattisgarh Development Authority Services (Officers and Employees) Recruitment Rules, 2013.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions. – In these rules, unless the context otherwise requires,-**

   (a) "Act" means, the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973);

   (b) "Appointing Authority" means:-

   (i) The Authority empowered to make appointments to the service of which the Employee of Authority is for the time being a

member or the Employee of Authority who is for the time being included to the grade of the service; or

(ii)The Authority empowered to make appointments to the post which the Employee of Authority for the time being holds; or

(iii)The Authority which appointed the Employee of Authority to such service, grade or post, as the case may be; or

(iv)Where the Employee of Authority having been a permanent member of any other service or having subsequently held any other permanent post, has been in continuous employment of the Authority, the Authority which appointed him to that service or any grade in the service or to that post, whichever is the higher Authority.

(c) "Authority" means, the Chhattisgarh Development Authority.

(d) "Committee" means, the Committee constituted by the State Government and/or Authority as the case may be;

(e) "Development Authority" shall have the meaning as defined in Section 76-A (1) of the Act;

(f) "Development Authority Service" means, the service or group of posts in connection with the affairs of the Authority as defined in Section 76-B of the Act;

(g) "Employee of Authority" means, a person appointed to or borne on the cadre of the Authority Staff;

(h) "Government" means, the Government of Chhattisgarh;

(i) "Post" means the whole time employment under the Authority, but does not include any employment, where the employees are paid on daily wages;

(j) "Schedule" means, Schedule appended to these rules.

3. Scope and application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service of Town Development Authorities of Chhattishgarh State.

4. Constitution of the service.-(1) The Development Authority Services shall have the Class-I, Class-II, Class-III and Class-IV posts. The Class-I and Class-II posts shall be the state cadre posts. The Class-III and Class-IV posts shall be local cadre posts under the Authority for the purpose of these rules and the services and posts are classified in Schedule I.

(2) The Officers borne on the posts of the State Cadres (Class-I and II Services) are liable for transfer from one authority to another by the State Government. The Officials borne on the posts of Local Cadres (Class-III and Class-IV Services) are liable for transfer from one Authority to another Authority. Such transfer be made either by the mutual transfer agreement between the two Authorities or by the State Government.

direct recruitment and by promotion of employees already in the service of the Authority as per the percentage specified in Schedule-II.

(2) (i) Whenever the Authority has to fill-up any post of Class-III or Class-IV the names of the candidates shall be requisitioned from the local employment exchange. The vacancies shall also be notified in one Hindi and one English newspaper having state-wide circulation as well.

(ii) In case of Class-I and Class-II posts the number of the vacancies shall be intimated to the State Government for selection and appointment through competent Selection/Promotion Committee.

(iii) Every contract appointment shall be governed by the Chhattisgarh Civil Services (Contract Appointment) Rules, 2012.

(3) The direct recruitment shall be subject to reservation of posts for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as per the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(4) 30% of the posts to be filled by direct recruitment shall be reserved for the women candidates as per the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Special Provisions of Appointment of Women) Rules, 1997.

(5) For the post to be filled by direct recruitment, the educational and other qualifications shall be as per Schedule-III.

(6) The list of selected candidates shall be prepared in order of merit for such posts, as Appointing Authority may consider necessary and as far as possible vacancies shall be filled from amongst such selected candidates in the order in which their names in the select list.

(7) At the time of recruitment to the service, the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of the Government shall apply.

8. **Selection/Promotion Committee.–** (a) Selection/ Promotion Committee shall be constituted from time to time by the State Government/Authority for appointment or promotion in services of the Authority.

(b) The appointment/ promotion to the Class-I and Class-II posts of the services of the Authority shall be made on the recommendations of the Selection/ Promotion Committee constituted by the State Government for this purpose.

(c) In case of Class-III and Class-IV posts, the State Government/Authority shall constitute a Committee from time to time.

9. **Appointing Authority.–** (1) All appointments to the services of Authority in Class-I and Class-II posts shall be made by the State Government.

(2) All appointments to the services of Authority, Class-III and Class-IV posts shall be made by the Chief Executive Officer with prior approval of the Board on the basis of recommendations of Selection Committee.

10. **Conditions of eligibility for Direct Recruitment.-** In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I) Age – (a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of issue of the advertisement;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 years as per the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This

concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii) A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service;

(e) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Ex-Servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or

declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service :-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concession;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) On fulfilling the conditions of the enrollment.

(iii) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

(iv) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive scheme as per Chhattisgarh Inter Caste Marriage, Promotional Scheme under Untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchandra Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note-(1) The candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 10(d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign

from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the applications.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the State Government, from time to time shall also be applicable.

(3) Candidate in whose case certificate eligibility is necessary may be appointed provisionally subject to the necessary certificate being eventually issued in his favour by the State Government.

11. **Disqualifications.** - Disqualification for appointment to the post of Authority shall be as per the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Services) Rule, 1961.

12. **Probation. – (1)** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

(2) Appointing Authority may in special cases extend the period of probation for a period not exceeding 1 year in aggregate.

(3) Appointing Authority may require the probationer to undergo such training as it may deem fit.

13. **Appointment by Promotion.** – (1) For appointment by promotion, a Committee shall be constituted by the State Government/ Authority, from time to time.

(2)Appointment by promotion to Class-I and Class-II services, shall be made on the recommendations of the Selection/ Promotion Committee, as referred to in Rule 8 (b) and to Class-III services on the recommendations of the Selection/ Promotion Committee referred to in Rule 8(c).

(3) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1 year.

(4) Promotion to the services of the Authority Class-I, II, III and IV shall consider cases of persons who on 1st day of January of that year, in which Committee meets, had completed service (whether officiating or substantive) in the post and have educational qualifications as specified in Schedule-III).

(5). The provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003, shall apply in the appointment by promotion.

14. **Probation and Confirmation.**– (1) The period of probation in case of promotion shall be 1 year, if it appears at any time during or at the end

of the period of probation that a probationer had not made sufficient use of his opportunities or that he had otherwise failed to satisfy, he may, after the approval of the Appointing Authority be reverted to the post from which he was promoted:

Provided that, the Appointing Authority may on sufficient reasons, extend the period of probation for period not exceeding 6 months.

(2) On the successful completion of probation, probationer shall be confirmed in the service or post to which he has been promoted.

15. **Gradation List.** – A gradation list shall be issued every year for the authority services as per provisions of Chattisgarh Civil Service (General Conditions of Services) Rule, 1961.

16. **Increment.** – (1) An increment shall ordinarily be drawn as a matter of course unless it is withheld.

(2) An increment may be withheld, of an Employee of Authority, if his conduct has not been good or his work has not been satisfactory. In ordering the same, the period for which it is withheld and whether the withholding shall have the effect of post pending future increment shall be stated.

17. **Leave.** – (1) In respect of leave the Employee of Authority shall be governed by the rules applicable to the Government servants holding corresponding posts under the State Government.

(2) The power to grant leave including casual leave shall be as per the powers delegated by Housing and Environment Department of the Government of Chhattisgarh, from time to time.

18. **Age of Superannuation.** – The age of superannuation for Employee of Authority, shall be as per the age fixed for employees of Government Chhattisgarh, holding corresponding post.

19. **Contributory Provident Fund.** – Contributory Provident Fund Rules, 1955, as prescribed by the Government and as amended from time to time shall be applicable to Employees of Authority.

20. **Death Benefits.** – Death benefits and exgratia payments to the dependents of the deceased Employee of Authority shall be applicable as per the rules framed by the Government, as amended from time to time, in this behalf.

21. **Travelling Allowance and Daily Allowances.** – The conditions of service of an Employee of Authority regarding travelling allowance and daily allowance shall be governed according to the Chhattisgarh Fundamental and Supplementary Rules, as amended from time to time and shall be the same as those of a Government servant of similar statues.

22. **Allowance during training period.**– The employee sent for training at the State Training Institute or an Institute recognised by the State Government, shall be entitled to receive pay and allowances from the Authority fund, as follows:-

(i) The employee sent on training shall be entitled to pay and allowances in the same manner, which he should be entitled, had he not proceeded on training;

(ii) Travelling allowance to and from the Institute as per rates applicable to him;

(iii) Period of training shall be treated as duty period.

23. **House Rent Allowance.** – Where house rent allowance is admissible to a Government servant, the same shall be admissible to an Employee of Authority also. The rate of allowance shall be the same.

24. **Conveyance Allowance.** – Where conveyance allowance is admissible to a Government servant, the same shall be admissible to an Employee of Authority also. The rate of allowance shall be the same:

Provided that, the conveyance allowance shall be admissible only to such officer, in whose case keeping of conveyance is deemed essential for the discharge of duties of the Authority:

Provided further that, the Employee of Authority who receives conveyance allowance should furnish to the Authority a certificate that he has maintained a conveyance in running order during the period for which the allowance is claimed. The Employees of Authority should furnish their certificates to the Chief Executive Officer, who after exercising the necessary check thereon, should record a certificate on the bill.

25. **Direction of Government.**– Except as provided in these rules the pay, allowance, increment, gratuity, leave, joining time, retirement, disciplines, control, punishment, conduct, loan and advances, medical attendance rules, rules for compensatory appointment, G.I.S. (General Insurance Scheme), service book and other conditions of service of persons appointed to the service of Authority, shall be regulated as per the directions issued by the Government, from time to time.

26. **Disciplinary action against the person who is on deputation to the Authority.**– (1) Where an order made or disciplinary proceeding taken against an Employee of Authority whose service have been borrowed from the Government, Disciplinary Authority shall immediately inform the Government of the circumstances leading to the order of his suspension or commencement of the disciplinary proceedings against him.

(2) In the light of the findings in the disciplinary proceedings taken against such Employee of Authority, if the Disciplinary Authority is of the opinion that, any of the penalties specified in rule 10 of Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control And Appeal) Rules, 1966, should be imposed on such employee, the services of such employee should be replaced at the disposal of the Government and the record of the enquiry shall be transmitted to the Government for such action as it deems necessary.

27. **Right of Appeal** .– (1) No Authority employee shall have a right of appeal if -

(a) He is holding a temporary post; or

Provided that the Appellate Authority may entertain an appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant has sufficient cause for not preferring an appeal in time.

(4) **Provision of Indian Limitation Act to be taken as guide**—In computing the period of limitation under these rules, the provision of the Limitation Act, 1963 (No. 36 of 1963) may as far as possible be taken as a guide.

28. **Rules applicable to the employees born on work charges/contingencies establishment of Authority.**— The modal service conditions published by the General Administration Department, Government of Chhattisgarh for work charges/contingencies employees vide letter number 343/444/1 (3) P.C.C./75, dated 29-09-75 shall be applicable for appointment of employees in service on work charge/contingencies establishment of Authority.

29. **Conditions of Service on deputation to the Authority.**— An employee of Authority, while on deputation to the Authority may be permitted, to retain to such extent and subject to such conditions, as may be determined by the Government, the terms and conditions of service which were applicable to him immediately before his deputation to the service of Authority.

30. **Interpretation** .— All questions relating to the interpretation of these rules shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

31. **Repeal and savings.**— (1) All rules, orders and byelaws corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
N. BAIJENDRA KUMAR, Principal Secretary.

SCHEDULE-I

S. No	Name of Post	Classification	Scale of Pay	No of posts	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Chief Executive Officer	I	IAS Cadre pay scale	1	
2	Additional Chief Executive Officer	I	15600-39100 +6600	1	
3	Chief Engineer	I	37400-67000+8900	1	
4	Superintendant Engineer	I	15600-39100+7600	2	
5	Executive Engineer (Civil)	I	15600-39100+6600	3	
6	Executive Engineer (Electrical)	I	15600-39100+6600	1	
7	Town Planner Grade-I	I	15600-39100+6600	1	
8	Estate Officer Grade-I	I	15600-39100 +6600	1	
9	Chief Account Officer (State Finance Service)	I	15600-39100 +6600	1	
10	Bhawan Anugna Adhikari	II	15600-39100 +5400	1	Supernumerary
11	Assistant Engineer (Civil)	II	15600-39100+5400	10	
12	Assistant Engineer (Electrical)	II	15600-39100+5400	1	
13	Assistant Engineer (Mechanical)	II	15600-39100+5400	1	
14	Accounts Officer	II	15600-39100 +5400	1	
15	Administrative Officer	II	15600-39100 +5400	1	
16	Revenue Officer (Tahsildar)	III	9300-34800+4300	1	
17	Assistant Revenue Officer (NayabTahsildar)	III	9300-34800+4200	1	
18	Assistant Public Relations Officer	III	9300-34800 +4300	1	

19	Personal Secretary	III	9300-34800 +4400	1	
20	Personal Assistant	III	9300-34800 +4300	1	
21	Superintendent	III	9300-34800 +4300	1	
22	Sub-Engineer	III	9300-34800 +4200	24	
23	Draughtsman	III	9300-34800+4200	1	
24	Chief Accountant	III	5200-20200+2800	1	
25	Assistant Garden Superintendent	III	5200-20200+2800	1	
26	Stenographer Grade-III	III	5200-20200+2800	2	
27	Assistant Grade-I	III	5200-20200+2800	6	
28	Works Assistant Grade-I	III	5200-20200 +2400	4	
29	Works Accountant	III	5200-20200 +2400	1	
30	Assistant Grade-II	III	5200-20200+2400	8	
31	Assistant Draughtsman	III	5200-20200+2400	1	
32	Revenue Inspector	III	5200-20200 +2400	1	
33	Store Keeper	III	5200-20200 +2400	1	
34	Cashier	III	5200-20200 +2400	1	
35	Patwari	III	5200-20200 +2200	2	
36	Works Assistant Grade-II	III	5200-20200 +1900	27	Supernumerary 7
37	Steno Typist	III	5200-20200+1900	3	
38	Computer Operator	III	5200-20200+1900	3	
39	Assistant Grade-III	III	5200-20200+1900	34	Supernumerary 12
40	Tracer	III	5200-20200+1900	3	
41	Driver	III	5200-20200 +1900	10	
42	Road Roller Driver	III	5200-20200 +1900	2	
43	Tractor Driver	III	5200-20200 +1900	2	
44	Pump Operator	III	5200-20200 +1900	7	Supernumerary 1
45	Plumber	III	5200-20200 +1900	3	
46	Lineman	III	5200-20200 +1900	4	Supernumerary 1
47	Moharir Grade-II	III	5200-20200 +1900	7	
48	Tractor helper	III	5200-20200 +1900	1	Supernumerary
49	Ferro Printer	III	5200-20200+1900	1	Supernumerary

50	Daftari	IV	4750+7440 +1400	1	
51	Jamadar	IV	4750+7440 +1400	1	
52	Peon-cum-Chowkidar	IV	4750+7440 +1300	30	Supernumerary 12
53	Security Guard	IV	4750+7440 +1300	1	
54	Water Woman	IV	4750+7440 +1300	4	
55	Gardener	IV	4750-7440 +1300	1	

Workcharge

1	Pump Operator	IV	4750-7440 +1300	14	Supernumerary 13
2	Mason	IV	4750-7440 +1400	2	Supernumerary 1
3	Mate	IV	4750-7440 +1400	2	Supernumerary 1
4	Chowkidar	IV	4750-7440 +1300	27	Supernumerary 21
5	Sweeper	IV	4750-7440 +1300	12	Supernumerary 8
6	Labour	IV	4750-7440 +1300	85	Supernumerary
7	Peon	IV	4750-7440 +1300	1	
8	Water Woman	IV	4750+7440 +1300	1	Supernumerary
9	Time Keeper	III	5200-20200+1900	6	Supernumerary
10	Plumber	III	5200-20200 +1900	6	Supernumerary
11	Tractor Driver	III	5200-20200 +1900	2	Supernumerary
12	Tractor helper	III	5200-20200 +1900	2	Supernumerary
13	Electric Assistant	III	5200-20200 +1900	3	Supernumerary
14	Plumber Assistant	III	5200-20200 +1900	4	Supernumerary
15	Dak runner	IV	4750+7440 +1300	1	Supernumerary

Contingency

1	Mahila Prabhandhika	III	5200-20200 +1900	1	
2	Assistant Grade -III	III	5200-20200+1800	8	Supernumerary 7
3	Tracer	III	4750+7440 +1400	2	Supernumerary 1
4	Water Woman	IV	4750+7440 +1300	4	Supernumerary
5	Security Guard	IV	4750+7440 +1300	1	
6	Moharir	IV	5200-20200+1800	2	Supernumerary

SCHEDULE-II

(See Rule 7)

S. No.	Name of Post	By Direct recruitment / Contract appointment	By Promotion of substantive members of service	By Transfer / Deputation of persons from other service	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Chief Executive Officer	-	-	100%	From I.A.S. Cadre by State Government
2	Additional Chief Executive Officer	-	-	100%	From I.A.S. Cadre by State Government on Deputation otherwise on Contract appointment of Retd. Add. Collector /Dy. Collector.
3	Chief Engineer	-	100%	-	If no candidate is available for promotion than post will be filled by deputation or Contract appointment of Retd. Chief Engineer.
4	Superintendent Engineer	-	100%		If no candidate is available for promotion than post will be filled by deputation or Contract appointment of Retd. Supdt. Engineer.
5	Executive Engineer (Civil)	-	100%		If no candidate is available for promotion than post will be filled by deputation or Contract appointment of Retd. Executive Engineer.
6	Executive Engineer (Elect.)	-	100%		If no candidate is available for promotion than post will be filled by deputation or Contract appointment of Retd. Executive Engineer.
7	Town Planner	100%			By State Government
8	Estate Officer	-	-	100%	By deputation otherwise on Contract appointment.
9	Chief Accounts Officer (State Finance Service)	-	-	100%	By deputation of State Finance Services by State Government otherwise Contract appointment of Retd. State Finance Services Member.
10	Bhawan Anugya Adhikari	-	-	100%	By deputation otherwise on Contract appointment
11	Assistant Engineer (Civil)	50%	50%	-	50% posts to be filled by Promotion shall be filled as under:- (a) 75% by promotion of Diploma holder Sub Engineer. (b) 20% by promotion of Degree holder Sub Engineers who have

					obtained degree during the service or prior to joining the service. (c) 5% by promotion of Draftsman Cadre.
12	Assistant Engineer (Electrical)	50%	50%	-	If no candidate is available for promotion Contract appointment.
13	Assistant Engineer (Mechanical)	50%	50%	-	--do--
14	Accounts Officer	100%		-	
15	Administrative Officer	-	100%	-	If no candidate is available for promotion than post will be filled by Contract appointment.
16	Revenue Officer (Tahsildar)	-	-	100%	By deputation otherwise on Contract appointment of Retd. Dy. Collector/Tahsildar
17	Assistant Revenue Officer (NayabTahsildar)	-	-	100%	By deputation otherwise on Contract appointment of Retd. Tahsildar/Nayab Tahsildar.
18	Assistant Public Relation Officer	100%	-	-	By direct recruitment/ Contract appointment otherwise by deputation.
19	Personal Secretary	-	100%	-	If no candidate is available for promotion than post will be filled by Contract appointment.
20	Personal Assistant	-	100%	-	If no candidate is available for promotion than post will be filled by Contract appointment.
21	Superintendent	-	100%	-	If no candidate is available for promotion than post will be filled by Contract appointment.
22	Sub-Engineer (Civil)	75%	25%	-	
23	Draughtsman	-	100%	-	If no candidate is available for promotion than post will be filled by deputation or Contract appointment.
24	Chief Accountant	-	100%	-	If no candidate is available for promotion than post will be filled by Contract appointment.
25	Assistant Garden Superintendent	100%	-	-	
26	Stenographer Grade-III	50%	50%	-	50% by promotion of Steno Typist
27	Assistant Grade-I	-	100%	-	If no candidate is available for promotion than post will be filled by

					Contract appointment.
28	Works Assistant Grade-I	-	100%	-	If no candidate is available for promotion than post will be filled by Contract appointment.
29	Works Accountant	-	100%	-	If no candidate is available for promotion than post will be filled by Contract appointment.
30	Assistant Grade-II	-	100%	-	If no candidate is available for promotion than post will be filled by Contract appointment.
31	Assistant Draughtsman	50%	50%	-	50% by promotion of tracers and If no candidate is available for promotion than post will be filled by Contract appointment.
32	**Revenue Inspector**	-	100%	-	If no candidate is available for promotion than post will be filled by Contract appointment.
33	Store Keeper	-	100%	-	If no candidate is available for promotion than post will be filled by Contract appointment.
34	**Cashier**	-	100%	-	
35	**Patwari**	**100%**	-	-	By direct recruitment/ Contract appointment otherwise by deputation.
36	**Works Assistant Grade- II**	**100%**	-	-	
37	**Steno Typist**	**100%**	-	-	
38	**Computer Operator**	**100%**	-	-	
39	Assistant Grade-III	75%	**25%**	-	25% by promotion of class IV employees who have completed 5 years service & having qualification for the post of Assistant Grade-III.
40	Tracer	100%	-	-	
41	Driver	100%	-	-	By direct recruitment/ Contract appointment otherwise by outsourcing.
42	Road Roller Driver	100%	-	-	By direct recruitment/ Contract appointment otherwise by outsourcing.
43	Tractor Driver	100%	-	-	By direct recruitment/ Contract appointment otherwise by outsourcing.
44	Pump Operator	100%	-	-	
45	Plumber	100%	-	-	
46	Lineman	100%	-	-	
47	Moharir Grade-II	100%	-	-	

SCHEDULE-III

S. No.	Name of Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification (proposed) for direct appointment/ contract appointment	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Town Planner	21 years	30 years/ 35 years for permanent Resident of Chhattisgarh	At least 2nd Class degree in Architecture from any recognized University	For contract service Maxi mum age limit 64 years.
2	**Assistant Engineer (Civil)**	-do-	-do-	Degree in Civil Engineering from recognized University /Institution or equivalent.	-do-
3	**Assistant Engineer (Electrical/ Mechanical)**	-do-	-do-	Degree in Electrical/Mechanical Engineering from recognized University /Institution or equivalent.	-do-
4	**Accounts Officer**	18 years	-do-	1. 1st Class Commerce graduate from recognized University 2. Computer (Tally) certificate from recognized Institutes	-do-
5	Assistant Public Relations Officer	21 years	-do-	At least 2nd Class graduate with degree or diploma in Journalism or Public Relations or [illegible] Communication from any recognized university or Institution.	-do-
6	**Sub- Engineer (Civil)**	-do-	-do-	Diploma in Civil Engineering from recognized Board.	-do-
7	**Sub- Engineer (Electrical/ Mechanical)**	-do-	-do-	Diploma in Electrical/Mechanical Engineering from recognized Board.	-do-
8	**Assistant Garden Superintendent**	18 years	-do-	Passed B.Sc (Biology) Examination	-do-
9	Stenographer Grade-III	-do-	-do-	1. Passed Higher Secondary Examination (10+2) from recognized Board	-do-

				or Passed old Higher Secondary Examination with 1st year of Graduation course from any recognized university. 2. From any recognized Board/Institute/Stenography Typing Council :- (a) Stenographer (Hindi) - Passed Hindi Stenography Certificate Examination and 100words perminut speed of Stenography (efficiency test for speed shall be taken) (b) Stenographer (English) - Passed English Stenography Certificate Examination and 100words perminut speed of Stenography (efficiency test for speed shall be taken) 3. One year Diploma/Certificate in Data entry operator/ programing from any recognized institute and speed of Data Entry 10,000 (Key) depression per hour is essential (efficiency test for speed shall be taken)	
10	Assistant Draftman	-do-	-do-	Diploma in Civil Draftsmanship or Architecture from recognized Institution.	-do-
11	Patwari	-do-	-do-	1. Passed Higher Secondary Examination (10+2) from recognized Board. 2. Passed Patwari examination	-do-
12	Work Assistant Grade-II	-do-	-do-	1. Passed Higher Secondary Examination (10+2) from recognized Board. 2. Passed Trade Examination in	-do-

				Mason/Carpentry from I.T.I.	
13	Steno Typist	-do-	-do-	1.Passed Higher Secondary Examination (10+2) from recognized Board or Passed old Higher Secondary Examination with Ist year of Graduation course from any recognized university 2. Passed Hindi shorthand examination with speed of 60 word (efficiency test for speed shall be taken). 3. One year Diploma from recognized Institution in Data entry operator/ programing and having speed of 5,000 (Key) depression per hour (Efficiency test for speed shall be taken)..	-do-
14	Computer Operator	-do-	-do-	1.Passed Higher Secondary Examination (10+2) from recognized Board or Passed old Higher Secondary Examination with Ist year of Graduation course from any recognized university or Passed 10th and Three year Diploma form any recognized Institute. 2. Data entry operator/ programing and having speed of 8,000 (Key) depression per hour (Efficiency test for speed shall be taken).	-do-
15	Assistant Grade-III	-do-	-do-	1.Passed Higher Secondary Examination (10+2) from recognized Board or Passed old Higher Secondary Examination with Ist year of	-do-

				Graduation course from any recognized university 2. One year Diploma from recognized Institution in Data entry operator/ programing . 3. In Hindi Computer Typing 5000 (Key) depresstion speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
16	**Tracer**	-do-	-do-	1. Passed Higher Secondary Examination (10+2) from recognized Board and Intermediate grade drawing examination from recognized Institution.	-do-
17	Driver	-do-	-do-	Passed 8th Standard and having valid Driving licence.	-do-
18	Road Roller Driver	-do-	-do-	Passed 8th Standard and having valid Driving licence for heavy vehicle.	-do-
19	Tractor Driver	-do-	-do-	Passed 8th Standard and having valid Driving licence.	-do-
20	Pump Operator	-do-	-do-	Passed 8th Standard and one year training certificate from I.T.I.	-do-
21	Plumber	-do-	-do-	Passed 8th Standard and I.T.I. in fitter trade .	-do-
22	Lineman	-do-	-do-	Passed Higher Secondary Examination (10+2) from recognized Board and I.T.I. in Wireman trade.	-do-
23	Mohharir Grade-II	-do-	-do-	Passed Higher Secondary Examination (10+2) from recognized Board.	-do-
24	Tractor Helper	-do-	-do-	Passed 8th Standard	-do-
25	Mahila Prabandhika	-do-	-do-	Passed Higher Secondary Examination (10+2) from recognized Board	-do-
26	Peon-cum-Chowkidar	-do-	-do-	Passed 5th Standard	-do-

SCHEDULE-IV

S.No.	Name of post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Requisite experience	Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Superintendent Engineer (Civil)	Chief Engineer (Civil)	5 years continuous service as Superintendent Engineer (Civil)		
2	Executive Engineer (Civil)	Superintendent Engineer	5 years continuous service as Executive Engineer (Civil)	Degree in Civil Engineering from recognized University.	
3	Assistant Engineer (Civil)	Executive Engineer (Civil)	5 years continuous service as Assistant Engineer (Civil)	Degree in Civil Engineering from recognized University	
4	Assistant Engineer (Electrical)	Executive Engineer (Electrical)	5 years continuous service as Assistant Engineer (Electrical)	Degree in Electrical Engineering from recognized University	
5	**Sub-Engineer (Civil)**	Assistant Engineer (Civil)	10 years continuous service for **such Sub-Engineers who possess Diploma in Civil Engineering, or 8 years continuous service for those who possess Degree in Civil Engineering, or** 12 years continuous service as Draftsman for those who possess I.T.I. Draftsman/ Trade certificate in Civil/ Draftsman/ Surveyor.	**Diploma in Civil Engineering from recognized University**	
6	Sub Engineer (Electrical)	Assistant Engineer (Electrical)	10 years continuous service for such Sub-Engineers who possess Diploma in (Electrical) Engineering, or 8 years continuous service for those who possess Degree in (Electrical) Engineering.	Diploma in (Electrical) Engineering from recognized University	

7	Sub Engineer (Mechanical)	Assistant Engineer (Mechanical)	10 years continuous service for such Sub-Engineers who possess Diploma in (Mechanical) Engineering, or 8 years continuous service for those who possess Degree in (Mechanical) Engineering.	Diploma in (Mechanical) Engineering from recognized University	
8	Personal Secretary/ Superintendent	Administrative Officer	5 years continuous service on the post of Personal Secretary/ Superintendent.		As per combine gradation list
9	Personal Assistant	Personal Secretary	5 years continuous service on the post of Personal Assistant.		
10	Stenographer Grade-III	Personal Assistant	5 years continuous service on the post of Stenographer		
11	Assistant Grade- I	Superintendent	5 years continuous service on the post of Assistant Grade-I		
12	Works Assistant Grade-I	Sub-Engineer	8 years continuous service on the post of Works Assistant Grade-I		
13	Assistant Draftsman	Draftsman	5 years continuous service on the post of Assistant Draftsman		
14	Work Accountant	Chief Accountant	5 years continuous service on the post of Work Accountant		
15	Steno typist	Stenographer	5 years continuous service on the post of Steno typist		
16	Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 years continuous service on the post of Assistant Grade-II		
17	Works Assistant Grade-II	Works Assistant Grade -I	5 years continuous service on the post of Works Assistant Grade-II		
18	Assistant Grade- III	Work Accountant	5 years continuous service on the post of Assistant Grade-III	Commerce Degree from recognized University	
19	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 years continuous service on the post of Assistant Grade-III		
20	Tracer	Assistant Draftsman	5 years continuous service on the		

			post of Tracer		
21	Moharir	Revenue Inspector	8 years continuous service on the post of Moharir		
22	Assistant Grade-III	Store Keeper	5 years continuous service on the post of Assistant Grade-III		
23	Assistant Grade-III	Cashier	5 years continuous service on the post of Assistant Grade-III		
24	Peon-cum-Chowkidar / Telephone Attendant	Assistant Grade-III	5 years continuous service on the post of mentioned in Column (2) at Sr. No. (24). and having qualification for Assistant Grade-III		
25	Jamadaar /Daftari	Furrow printer	5 years continuous service on the post of Jamadar /Daftari		As per combine gradation list
26	Peon-cum-Chowkidar	Jamadaar	8 years continuous service on the post of Peon cum Chowkidar.		
27	Peon-cum-Chowkidar	Daftari	8 years continuous service on the post of Peon cum Chowkidar.		

Note:- A Promotion Committee shall be constituted by the State Government/Authority from, time to time, for promotion in services **of the** Authority.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2013

क्रमांक F 1-32/2013/16.—विभागीय आदेश क्रमांक F 9-6/2004/16 दिनांक 22-12-2006 द्वारा श्री ए. के. शर्मा, सदस्य जज, औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ बिलासपुर में कर्त्तव्यस्थ/पदस्थ किया गया था.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में संशोधन करते हुए श्री ए. के. शर्मा, सदस्य जज, औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ, बिलासपुर को औद्योगिक न्यायालय रायपुर में आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है तथा श्री शर्मा औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ, बिलासपुर में प्रत्येक माह के प्रथम एवं चतुर्थ सप्ताह में एक-एक दिन का कैम्प कोर्ट सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 8 मई 2013

क्रमांक एफ 1-10/2013/16.—राज्य शासन द्वारा श्री तपन कुमार चक्रवर्ती, जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) छत्तीसगढ़ को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-10/2013/16 रायपुर दिनांक 08-02-2013 द्वारा अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़ राज्य के पद पर उनकी 65 वर्ष आयु पूर्ण होने की अवधि तक के लिये नियुक्त किया गया है.

2. अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री तपन कुमार चक्रवर्ती को उक्त पद पर कार्यकाल के दौरान निम्नानुसार वेतन एवं सुविधायें प्राप्त होगी :—

1. वेतन—(80,000/- निश्चित)— उच्च न्यायालय के सेवारत् न्यायाधीश के समान वेतन : जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) छत्तीसगढ़ के पद से सेवानिवृत्त होने के पूर्व प्राप्त अंतिम वेतन में से निर्धारित पेंशन एवं अन्य पेंशनरी लाभ जिनकी हो, के समतुल्य राशि को घटाकर देय राशि.

2. भत्ता एवं अन्य सुविधायें— उच्च न्यायालय के सेवारत् न्यायाधीश के अनुरूप.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 151/F 1005894/2013, दिनांक 04-05-2013 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा विभाग विकास भवन, सिविल लाईन, रायपुर छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2013

क्रमांक 1197/वि-7/MGNREGA/2013.—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम, 2013 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42) की धारा 32 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) एवं (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़

शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, मंत्रालय, नया रायपुर, (कक्ष क्रमांक एस–4/14) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

नियम प्रारूप

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.—**

(1) ये नियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम, 2013 कहलायेंगे.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.—**

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 42);

(ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर तथा इन नियमों के नियम 7 के उप-नियम (2) एवं (3) में यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी;

(ग) "अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है संबंधित जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी;

(घ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से अभिप्रेत है संबंधित जिले का कलेक्टर;

(ङ) "कार्यक्रम अधिकारी" से अभिप्रेत है जनपद पंचायत का कार्यक्रम अधिकारी;

(2) शब्द एवं अभिव्यक्ति जो इन नियमों में प्रयुक्त है और जो परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है.

3. **बेरोजगारी भत्ते की पात्रता.—** यदि अधिनियम के नियम 2 के खण्ड (त) के अधीन यथा परिभाषित स्कीम के अंतर्गत किसी आवेदक को उसके आवेदन की प्राप्ति के या, विनिर्दिष्ट की गई तिथि में अग्रिम आवेदन की दशा में रोजगार चाहा गया है ऐसे रोजगार चाहे गये तिथि से, इसमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, पन्द्रह दिवस के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो इस नियम के अंतर्गत वह उस दिन के 16वें दिन से, जब तक ऐसा रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक एक दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा.

4. **बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन.—**

(1) प्रत्येक आवेदक को रोजगार प्रदाय हेतु विनिर्दिष्ट तिथि की समाप्ति के 30 दिवस के भीतर, ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी को बेरोजगारी भत्ते के लिये अपना आवेदन देना होगा.

(2) पृथक-पृथक अवधि हेतु बेरोजगारी भत्ता के लिये पृथक-पृथक आवेदन देना होगा.

(3) रोजगार की मांग हेतु प्रस्तुत आवेदन की पावती, आवेदन के साथ संलग्न करना होगा.

(4) कार्य पर उपस्थित होने का प्रमाण/साक्ष्य, अर्थात् जब आवेदक ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर कार्य में उपस्थित हुआ था, तब कार्यान्वियन अधिकारी द्वारा उसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया था, का आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक होगा, अन्यथा उसका आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा.

5. **बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया.—**

(1) बेरोजगारी भत्ते हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय, जनपद पंचायत (विकासखण्ड) के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लिया जा[illegible]

(2) ग्राम पंचायत, प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन/परीक्षण करेगी और उसे अपनी टीप के साथ कार्यक्रम अधिकारी को 5 दिवस के भीतर भेजेगी.

(3) आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से 10 दिवस के भीतर, बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा तथा आदेश/निर्णय की प्रति आवेदक, ग्राम पंचायत एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जायेगा.

(4) बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की दशा में, कार्यक्रम अधिकारी को प्रत्येक आवेदन में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने का कारण दर्शाना आवश्यक होगा.

(5) स्कीम के अंतर्गत, बेरोजगारी भत्ता वित्तीय वर्ष के दौरान प्रथम 30 दिनों के लिये न्यूनतम मजदूरी दर के एक चौथाई की दर से तथा शेष निरन्तर अवधि के लिये न्यूनतम मजदूरी दर का आधा देय होगा.

(6) बेरोजगारी भत्ते की अधिकतम सीमा—परिवार द्वारा मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता दोनों को मिलाकर उपार्जित कुल राशि, एक वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के 100 दिनों की मजदूरी की कुल राशि से अधिक नहीं होगी.

(7) बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी उसी तरह किया जाएगा, जिस तरह मजदूरी का भुगतान किया जाता है.

(8) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि से, आवेदक को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान में 7 दिवस से अधिक विलंब नहीं होना चाहिए, और यदि इसमें किसी तरह का विलंब होता है तो आवेदक, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन मुआवजा पाने का हकदार होगा.

6. **निम्नलिखित परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा.—**

(1) प्राकृतिक आपदा जैसे अतिवृष्टि, बाढ़, भूकम्प आदि घटनाएं जिन पर सामान्यतः किसी का नियंत्रण नहीं होता है तथा विषम परिस्थितियां जैसे दंगा-फसाद आदि में यदि ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इस अवधि में रोजगार उपलब्ध कराया जाना सम्भव न हो, तो राज्य शासन द्वारा यथा घोषित अवधि एवं क्षेत्र के लिए बेरोजगारी भत्ता देय नहीं होगा.

(2) यदि, कार्य पर उपस्थिति के लिये, कार्यक्रम अधिकारी/ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सूचना जारी किये जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर, आवेदक कार्य पर उपस्थित होने में विफल रहता है.

(3) यदि आवेदक, ग्राम पंचायत अथवा कार्यान्वयन एजेंसी की अनुमति बिना एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है या किसी माह में एक सप्ताह से अधिक के लिये अनुपस्थित रहता है, तो आवेदक, तीन माह के लिये बेरोजगारी भत्ता का हकदार नहीं होगा, तथापि, इस अवधि के दौरान वह रोजगार हेतु आवेदन कर सकता है.

(4) उस अवधि हेतु जिसमें आवेदक अथवा उसमें परिवार का कोई वयस्क सदस्य जिसका नाम रोजगार कार्ड में दर्ज है, योजनान्तर्गत कार्यरत है/कार्यरत रहा है.

(5) वह अवधि जिसके लिए रोजगार चाहा गया है, समाप्त हो जाती है और आवेदक के परिवार का कोई सदस्य नियोजन के लिए नहीं आता है.

(6) यदि आवेदक के परिवार के किन्हीं वयस्क सदस्यों ने वित्तीय वर्ष के दौरान कुल मिलाकर कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर लिया है.

(7) यदि आवेदक के परिवार ने मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता, दोनों को मिलाकर उतना उपार्जित कर लिया है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य के सौ दिनों की मजदूरी के बराबर है.

7. **बेरोजगारी भत्ता हेतु अपीलीय प्राधिकारी.—**

(1) बेरोजगारी भत्ता हेतु प्रस्तुत आवेदन पर की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं होने पर कोई भी आवेदक, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आदेश की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर, अपील कर सकेगा.

(2) कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत/अस्वीकृत करने के संबंध में पारित आदेश के विरुद्ध अपील, आवेदक द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर या उसकी ओर से प्राधिकृत अपर कलेक्टर की श्रेणी से अनिम्न के किसी अधिकारी के समक्ष की जायेगी.

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर या जिला स्तरीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील, संभागीय आयुक्त या इस प्रयोजन के लिए उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष की जाएगी.

(4) अपीलीय प्राधिकारी को अपील की तिथि से 30 दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर अपील का निराकरण करना अनिवार्य होगा तथा की गई कार्यवाही के बारे में लिखित में आवेदक को सूचित करेगा.

8. **बेरोजगारी भत्ते की मॉनिटरिंग के लिए प्रक्रिया.—**

(1) राज्य, जिला एवं जनपद स्तर पर बेरोजगारी भत्ता की मॉनिटरिंग की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा.

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर द्वारा, बेरोजगारी भत्ते की मॉनिटरिंग के लिए त्रैमासिक बैठक आयोजित की जायेगी.

(3) प्राप्त एवं निराकृत आवेदनों के संबंध में विवरण, प्रत्येक माह कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान एवं रोजगार की उपलब्धता की स्थिति को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा तथा इसको (रिपोर्ट को) राज्य सरकार, भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेबपेज के प्रीडिजाईन्ड फारमेट में भी ऑनलाईन प्रविष्टि करायेगी.

No. 1197/V-7/MGNREGA/2013.—The following draft of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Unemployment Allowance Rules, 2013, which the State Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (a) and (b) of sub-section (2) of Section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 32 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours by the office of the Additional Chief Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Capital Complex, Mantralaya, Naya Raipur (Room No. S-4/14) shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT RULES

1. **Short title, extent an commencement.—**

(1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment guarantee Unemployment Allowance Rules, 2013.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (No. 42 of 2005);

(b) "Appellate Authority" means the District Programme Co-ordinator/Collector and any other officer as specified in sub-rule (2) and (3) of rule 7 of these rules;

(c) "Additional District Programme Co-ordinator" means the Chief Executive Officer of the concerned Zila Panchayat;

(d) "District Programme Co-ordinator" means concerned District Collector;

(e) "Programme Officer" means the programme officer of Janpad Panchayat.

(2) The words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Eligibility for unemployment allowance.**—If an applicant is not provided employment under the scheme, as defined under clause (p) of rule 2 of the Act, within 15 days of receipt of his/her application or, in case of acvance application in which the date has been specified from which the employment has been sought, from the date that employment has been sought, whichever is later, then under this rule, he/she shall be entitled to a daily unemployment allowance from the 16th day till he/she is provided such employment.

4. **Application for an unemployment allowance.**—

(1) Every applicant shall submit his application for unemployment allowance to the Gram Panchayat/ Programme Officer within 30 days from the expiry of the date specified for providing employment.

(2) For unemployment allowance separate application shall be submitted for separate period.

(3) Acknowledgement of the application submitted for seeking employment, must be enclosed with the application.

(4) It shall be necessary to mention clearly in the application proof/evidence of presence on the worksite i.e. when the applicant was present at work site on the instructions of Gram Panchayat/Programme Officer, employment was not provided to him/her by the Implementation Officer, otherwise his application shall be rejected.

5. **Procedure for sanction and disbursement of unemployment allowance**—

(1) Decision on applications for unemployment allowance, shall be taken by the Programme Officer of Janpad Panchayat of the Block.

(2) Gram Panchayat shall examine/scrutinize the applications and shall send them to Programme Officer within 5 days along with comments.

(3) Decision regarding acceptance/rejection of unemployment allowance shall be taken within 10 days from the date of submission of application by the applicant and the copy of decision/order shall be compulsorily provided to the applicant, Gram Panchayat and District Programme Co-ordinator.

(4) Programme Officer shall be required to mention reason for not providing employment, on each application, in case, accepted for unemployment allowance.

(5) Under the scheme, unemployment allowance during a financial year, at the rate of one fourth of the minimum wage rate for the first 30 days and for the balance continued period half of the minimum wage rate, shall be payable.

(6) Maximum limit of Unemployment allowance— The total amount earned by a family by means of labour payment and unemployment allowance shall not exceed total labour payment of 100 days during one financial year.

(7) Unemployment allowance shall be paid in similar way as labour payment is paid.

(8) For payment of unemployment allowance, there should not be delay of more than 7 days from the date of issuing of sanction order by the Programme Officer and if any delay is caused, the applicant shall be entitled to receive compensation under the Paymant of Wages Act, 1936 (4 of 1936).

6. Uunemployment allowance is not payable under following circumstances.—

(1) Unemployment allowance shall not be paid during natural calamities like— famine, flood, earthquake etc. wherein no-one has any control over such situations and rare conditions like riots etc. when it is not possible for Gram Panchayat/Implоymentating Agency to provide employment than unemployment allowance shall not be payable for such period and area as declared by the State Government.

(2) When an applicant fails to remain present at the worksite within 15 days from the date of notice issued by the Programme Officer/Gram Panchayat or Implementing Agency for being present at the worksite.

(3) When an applicant remains absent continuosly for more than one week or is absent for more than one week in a month without the permission of Gram Panchayat or Implementing Agency, he shall not be entitled to receive unemployment allowance for three months, however, during this period he can submit an application for employment.

(4) The period in which the applicant or any adult member of the family whose name is enrolled in employment card, is working/has worked under the scheme.

(5) The period, for which applicant had sought employment, expires and none of the family member come for employment.

(6) If any adult member of family of the apllicant has obtained minimum 100 days of employment in total during the financial year.

(7) If an applicant's family has earned amount equal to labour payment of 100 days by means of labour payment and unemployment allowance, including both, during the financial year.

7. Appellate Authority for unemployment allowance.—

(1) Any applicant, dissatisfied by the action taken on his application submitted for unemployment allowance, may appeal before the Appellate Authority within 15 days from the date of order.

(2) An appeal against the order passed by the Programme Officer regarding acceptance/rejection of unemployment allowance, may be submitted by the applicant to the District Programme Co-ordinator/ Collector or any officer authorized on his behalf, not below the rank of Additional Collector.

(3) A second appeal, against the order passed by the District Programme Co-ordinator/Collector or a District Level Officer, may be submitted before Divisional Commissioner or any officer authorized on his behalf for this purpose.

(4) It shall be compulsory for the Appellate Authority to dispose off the appeal within stipulated time of 30 days from the date of appeal and shall inform the applicant about the proceedings in writing.

8. procedure for monitoring unemployment allowance.—

(1) Procedure of monitoring unemployment allowance must be published extensively at State, District and Junpad level.

(2) District Programme Co-ordinator/Collector shall conduct quarterly meeting for monitoring of unemployment allowance.

(3) Details regarding received and disposed off applications shall be submitted every month by the Programme Officer to the District Programme Co-ordinator and the District Programme Co-ordinator shall submit the report with clear status of unemployment allowance payment and availability of employment to the State Government, and the State Government shall submit the same to the Government of India and make online entries in the predesigned formatted web page of Government of India, Ministry of Rural Development.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक वरवड़े, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्रमांक/2784/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	चोरहा बंजारी प.ह.नं. 57	1.057	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव.	घुमरियानाला बैराज के चोरहा बंजारी माइनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

क्रमांक 07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	पाराघाट प.ह.नं. 22	0.04	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	हिर्री एनीकट पहुंच मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

क्रमांक 08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	पाराघाट प.ह.नं. 22	3.58	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	पाराघाट फीडर व्यपवर्तन योजना शीर्ष कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मस्तूरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	हिर्री	3.98	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	गोड़मा नाला सेतु कि.मी. 5/2 हिर्री से सिंगारपुरी पर वृहद पुल निर्माण के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 22 अप्रैल 2013

क्रमांक क/भू-अर्जन/06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	चरकई	0.745	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	चरकई नाला सेतु कि.मी. 1/6 चरकई-बरकई-चांदागांव मार्ग के पहुंच मार्ग एवं सेतु निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. धुर्वे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 18 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-जवाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.692 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1336	0.162
1339/1	0.117
1339/2	0.122
1340	0.170
1333	0.308
1334	0.275
1341/1	0.255
1341/2	0.129
1342/1	0.151
1342/2	0.125
1342/3	0.121
1332	0.170
1347/1	0.405
1345/1	0.125
1345/2	0.081
1335/1	0.105
1343/1	0.040

(1)	(2)
1344/1	0.063
1335/2	0.105
1347/2	0.040
1343/2	0.081
1344/4	0.114
1344/2	0.062
1344/3	0.131
1344/5	0.194
1347/2	0.041
योग	3.692

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोलार नाला स्टॉपडेम क्रमांक 02 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 18 मार्च 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम-बुंदेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.047 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.186
3/6	0.081
3/8	0.364
3/2	0.364
3/1	0.101
3/9	0.405
3/4	0.263
3/5	0.121
3/7	0.162
योग	2.047

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोलार नाला स्टाप डेम क्रमांक 02 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2013

भू-अर्जन प्र.क्र./10/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-रायपुर
(ग) नगर/ग्राम-देवपुरी, प.ह.नं. 114/45
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13480 वर्गमीटर

खसरा नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
369/2	1460
466	5340
458/2	1380

	(1)	(2)
	458/3	1420
	458/6	1620
	465/7	2260
योग	**6**	**13480**

(2) **सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण - नगर विकास योजना क्रमांक-4 (कमल विहार)**

(3) **भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य कार्यपालन** अधिकारी, रायपुर **विकास प्राधिकरण,** रायपुर (छ.ग.) के कार्यालय में देखा जा **सकता है.**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 25 मार्च 2013

क्रमांक/भू-अर्जन/2012/प्र.क्र. 9 अ/82 वर्ष 2011-12—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-मुसवाठोढ़ी, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.91 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	557/16	0.07
	557/5	[illegible]
	526/4	[illegible]
	558/1	[illegible]
	556/2	[illegible]
	524	0.13
	557/9	0.05
	526/3	0.05
	557/3	0.03
	557/4	0.03
	557/12	0.10
	557/13	0.02
	557/8	0.05
	523	0.12
	536/1	0.05
योग	15	**0.91**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके **लिए भूमि की आवश्यकता है-** हरदी एनीकट के पहुंच मार्ग **निर्माण हेतु**

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) **का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी,** बलौदाबाजार के **कार्यालय में किया जा सकता है.**

छत्तीसगढ़ के **राज्यपाल के नाम से तथा** आदेशानुसार,
राजेश **सुकुमार टोप्पो,** कलेक्टर एवं **पदेन सचिव.**

विभाग प्रमुखों के आदेश

रायपुर विकास प्राधिकरण

बजरंग मार्केट, शास्त्री चौक, जी. ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिकारी

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्रमांक 40/यो.शा./वि.प्रा./13.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा नई ई.ए.सी. कालोनी के पुनर्निर्माण हेतु विकास योजना (ग्राम रायपुर खास) में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है.

उत्तर : बलौदाबाजार रोड (खालसा स्कूल के सामने ई.ए.सी. कालोनी सड़क जाने के कोने से लेकर केनाल रोड तक)

पूर्व : जी. ई. रोड पर डॉ. बांठिया नर्सिंग होम की रोड के कोने से संचालनालय पशु चिकित्सा डॉ. टावरी नर्सिंग होम तक एवं डॉ. टावरी नर्सिंग होम के पीछे से चावला होटल के पीछे तक एवं हर्ष विला के पीछे से होते हुए रविनगर मकान नं. सी-12 एवं सी-11 के पीछे का कोना, रविनगर सी-11 के साइड से सी-10ए के साइड से सी-10 के पीछे एवं सी-10 के पीछे से लेकर सी-1 के कोने तक सी-1 के कोने से साइड होते हुए सी-6 के साइड से नहर रोड तक, सी-6 के पीछे से सी-19ए के पीछे तक एवं केनाल रोड के किनारे से बलौदाबाजार रोड तक.

दक्षिण : जिला वाणिज्य कार्यालय के कोने से कलेक्टोरेट पोस्ट आफिस के सामने तक एवं जिला होमगार्ड कार्यालय की बाउंड्री से जी.ई. रोड तक एवं जी.ई. रोड पर होमगार्ड कार्यालय के बाउंड्री के कोने से बांठिया नर्सिंग होम जाने वाली सड़क के मोड़ तथा फ्लाई ओवर हेतु जी. ई. रोड पर अनुपम उद्यान से लेकर गांधी उद्यान तक.

पश्चिम : जिला वाणिज्य कार्यालय के कोने से पंचवटी के कोने तक एवं पंचवटी के पीछे से कर्मचारी सामुदायिक भवन के पीछे तक एवं कर्मचारी सामुदायिक भवन के सड़क के कोने से लेकर नेहरू बाल उद्यान के सामने से होते हुए खालसा स्कूल के सामने ई.ए.सी. कालोनी के रोड के कोने तक.
फ्लाई ओवर हेतु शास्त्री चौक से फाफाडीह चौक तक जेल रोड.

No. 40/यो.शा./वि.प्रा./13.—It is hereby declared and published for the information of the general public under **sub section (2) of** section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 that the Raipur Development Authority Town and Country Development Authority intend to prepare Town Development Scheme for E.A.C. Colony reconstruction Development Scheme Vill-Raipur Khas.

NORTH : From corner of EAC colony road opposite to Khalsa school upto canal road on Baloda Bazar road.

SOUTH : From corner of Jila Business center to Collectorate post office to G.E. road through Homeguard office, G. E. road Homeguard office corner to Bathiya nursing home turning & for flyover from Anupam garden to Gandhi garden on G.E. road.

WEST : Jila business center to Panchwati and from Panchwati backside to Karmchaari Saamudayik Bhawan and from front of Karmchaari Saamudayik Bhawan to Nehru bal garden and Nehru bal garden to Baloda Bazaar road in front of Khalsa school E.A.C. Colony turning. For flyover from Shastri chowk to Phaphadih chowk on jail road.

EAST : Bathiya nursing home turning on G.E. road to Taori nursing home form back of Taori nursing home to Chawla hotel, from Chawla hotel to back of Harsh villa to back of Ravinagar home No. C-12, C-11 side of C-11 to C-10a to back of C-10, from back of C-10 to corner of C-1, than side of C-1 to C-6 upto Canal road. Back of C-6 to C-19a and Canal road upto Baloda Bazaar road.

सुनील सोनी,
अध्यक्ष.

कार्यालय, राज्य औद्योगिक न्यायालय छ.ग. रायपुर

क्रमांक/स्टेनो/968/2013 रायपुर, दिनांक 8 मई 2013

औद्योगिक न्यायालय के खंडपीठों के निर्माण नियम 2008 के संशोधन

1. औद्योगिक न्यायालय के खण्डपीठों के निर्माण नियम 2008 के नियम 5 (एक) में पहली पंक्ति में अधिक शब्द के बाद "जुर्माना" शब्द एवं तीसरी पंक्ति में अपील शब्द के पश्चात् "औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11 (ग)(1)(क) के अंतर्गत पस्तुत अपील" शब्द जोड़ा जावे.

2. इसी प्रकार नियम 5 के उपनियम (दो) के अंतर्गत "औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11(ग) (1) (ख) के अंतर्गत प्रस्तुत अपील" शब्द जोड़ा जावे.

3. नियम 5 के उपनियम (तीन) के अंत में "औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11(ग) (1) (ग) के अंतर्गत प्रस्तुत अपील" शब्द जोड़ा जावे.

4. नियम 5 के उपनियम (चार) के अंत में "औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से संबंधित निर्वचन." जोड़ा जावे.

5. नियम 17 के पश्चात् सब-पैरा के रूप में निम्नलिखित जोड़ा जावे :—
"नियम 5 के अंतर्गत किये गये संशोधन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा."

AMENDMENT EXERCISE OF POWERS AND FUNCTIONS OF INDUSTRIAL COURT RULES 2008

The following be added in rule 5 of the exercise of powers and functions of Industrial Court rules 2008

In Rule 5 (i) after words appeal "appeal under Section 11-C(I) (a) of Industrial Dispute Act, 1947" be added.

In Sub rule 2 of rule 5 after words appeal "under Section 11-C(I) (b) of the Industrial Dispute Act, 1947" be added.

In Sub rule 3 of rule 5 after words appeal "and Appeal under Section 11-C(I) (c) under Industrial Dispute Act, 1947" be added.

In sub rule of IV of rule 5 after word Act "and the Industrial Dispute Act 1947" be added.

In section 17 sub para
"The amendment of rule 5 shall be effective from the date of it's publication in Government Gazette."

टी. के. चक्रवर्ती,
अध्यक्ष.

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 अगस्त 2012

क्रमांक 11/2012.—छ.ग. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा-13 (3-ए) के अधिकारों के प्रयोजन हेतु राज्य शासन द्वारा श्रम अधिकारी को अधिसूचना क्रमांक 4514-2459 XVI-A दिनांक 29-09-1983 के द्वारा अधिकृत किया गया है. जिला जांजगीर-चांपा के स्थानीय शिवरीनारायण क्षेत्र में शासन द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम लागू किया गया. अत: शिवरीनारायण क्षेत्र में दिन मंगलवार को बंद दिवस नियत किया जाता है.

विकास सरोदे,
श्रम पदाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण) सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

सूरजपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्रमांक/111/परि.अ./2012-13.—मैं डॉ. एस. भारती दासन (आई.ए.एस.) कलेक्टर, जिला-सूरजपुर, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए नगर पंचायत बिश्रामपुर के वार्ड क्रमांक 09 के पार्षद द्वारा स्वेच्छापूर्वक दिया गया त्यागपत्र स्वीकार करता हूं. जिसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित है.

अनुसूची

क्र.	निकाय का नाम	वार्ड क्र.	पार्षद का नाम जिनके द्वारा त्यागपत्र दिया गया है	वार्ड के आरक्षण की स्थिति (वर्ग)	त्यागपत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	त्यागपत्र प्रस्तुत करने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नगर पंचायत बिश्रामपुर	09	श्री कमलकांत महतो	अनारक्षित	06-02-2013	शासकीय नौकरी में जाने के कारण

एस. भारती दासन,
कलेक्टर.